नया शहरी एजेंडा

Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the New Urban Agenda document endorsed by the General Assembly (A/RES/71/256*) which is the official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र , भारत एवं भूटान द्वारा अनुवादित

नया शहरी एजेंडा

United Nations

नया शहरी एजेंडा

सबके लिए टिकाऊ नगरों और मानव बसतियों के बारे में क्वीटो घोषणा

1. मंत्री और उच्च प्रतिनिधि ,हम शासनाध्यक्ष 17 से 20 अक्तूबर, 2016 तक क्विटो में हैबीटैट) आवास और सतत् शहरी विकास III) राज्यों ,के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ,मूल निवासियों तथा स्थानीय समुदायों ,प्रबुद्ध समाज ,सांसदों ,और स्थानीय सरकारों वैज्ञानिक तथा विद्वत समुदाय तथा अन्य ,पेशेवर कर्मियों और कार्यकर्ताओं ,निजी क्षेत्र संबद्ध पक्षों की भागीदारी के साथ नया शहरी एजेंडा पारित करने के लिए एकत्र हुए हैं।

2. 2050 तक विश्व में शहरी जनसंख्या लगभग दोगुनी हो जाने का अनुमान है जिससे शहरीकरण 21,वीं शताब्दी का एक सबसे परिवर्तनकारी रुझान हो जाएगा। जनसंख्या सामाजिक और सांस्कृति क संपर्क तथा पर्यावरणीय और मानवीय ,आर्थिक गतिविधि ,बुनियादी सुविधाओं ,जिसके कारण आवास ,प्रभावों का जमाव शहरों में बढ़ता जा रहा है उपयुक्त रोजगार सुरक्षा और प्राकृतिक ,शिक्षा ,स्वास्थ्य ,खाद्य सुरक्षा ,आवश्यक सेवाओं संसाधनों आदि की दृष्टि से टिकाऊपन की बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

3. 1976 में कनाडा में वैन्कूवर और 1996 में संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती इस्तांबुल में तुर्की में सम्मेलनों के आयोजन तथा सन् 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाए जाने के बाद से हमने तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों सहित लाखों शहरी निवासियों के बढ़ती असमानताओं और ,जीवन के स्तर में सुधार देखे हैं। किन्तु गरीबी के विविध रूपों पर्यावरण विनाश का जारी रहना दुनिया भर में टिकाऊ विकास की प्रमुख बाधाएं हैं। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक बहिष्करण और वर्गों का अलगाव अकसर शहरों और जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ,मानव बस्तियों में ऐसी सच्चाई है

4. हम अभी तक इन चुनौतियों और अन्य मौजूदा तथा उभरती चुनौतियों का समुचित ढंग से ,सामना नहीं कर पाए हैं और अब शहरीकरण ने टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वृद्धि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के इंजन के रूप में जो अवसर प्रदान किए हैं और परिवर्तनशील तथा टिकाऊ विकास को हासिल करने में उसके संभावित योगदान का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

5. ,विकास ,वित्त ,डिजाइन ,नगरों और मानव बस्तियों के नियोजन ,नया शहरी एजेंडा संचालन और प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाकर गरीबी और भूख के हर रूप और आयाम

समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा ,टिकाऊ ;असमानताएं कम करने ;को मिटाने पुरुष समानता हासिल करने और सतत् विकास में महिलाओं और लड़कियों के-स्त्री ;देने महत्वपूर्ण योगदान का पूरी तरह उपयोग करने के लिए सभी लड़कियों और महिलाओं को आंतरिक शक्ति मजबूत करने ;मानव स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने ;सशक्त करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने में मदद करेगा।

6. हम वर्ष 2015 विशेषकर सतत् विकास के लिए ,की महान उपलब्धियों 2030 [1]एजेंडा विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था पर ,का पूर्ण संज्ञान लेते हैं जिनमें सतत् विकास लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के बारे में ,के अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा [2]तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा जोखिम ,[3]यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत पारित पेरिस समझौता अपशमन के लिए सेन्दाई फ्रेमवर्क 2015-2030[4], दशक 2014-2024[5] में जमीन से घिरे एसआईडीएस एक्सलरेटिड मॉडेलिटीज़ ऑफ ,विकासशील देशों के लिए वियना प्रोग्राम तथा दशक [6]पाथवे (समोआ) एक्शन 2011-2020[7] में सबसे कम विकसित देशों के लिए कार्रवाई का इस्ताम्बूल प्रोग्राम शामिल है। हम पर्यावरण और विकास के बारे में रियो

---

[1] संकल्प 70/1।

[2] संकल्प 69/313, अनुलग्नक।

[3] सीपी/एफसीसीसी : देखें/2015/10/एड/ 1, निर्णय 1 /सीपी. 21, अनुलग्नक

[4] संकल्प 69/283, अनु. ॥

[5] संकल्प 69/137 अनु. ॥

[6] संकल्प 69/15 अनु.

[7] तुर्की ,इस्ताम्बूल ,सबसे कम विकसित देशों के बारे में चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट, 9-13, मई 2011 (कॉन्फ/ए 219/7), अध्याय ॥

सामाजिक विकास के लिए ,सतत् विकास के बारे में विश्व शिखर सम्मेलन ,[8]घोषणा के प्रोग्राम [9]जनसंख्या और विकास के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ,विश्व शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास सम्मेलन और ,[10]बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ,ऑफ एक्शन इन सम्मेलनों के बाद आगे की कार्रवाई का भी संज्ञान लेते हैं।

7. यह मानते हुए भी इस्ताम्बूल में मई 2016 में आयोजित विश्व मानवीयता सम्मेलन के हम उसका संज्ञान लेते हैं। ,परिणामों पर सरकारों के बीच सहमति नहीं हुई थी

8. साथ राज्य-हम नए शहरी एजेंडा की परिभाषा में राष्ट्रीय सरकारों के योगदान के साथ और स्थानीय सरका रों के योगदान को भी स्वीकार करते हैं और स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकारों की दूसरी विश्व सभा का संज्ञान लेते हैं।

9. नए शहरी एजेंडा में हमारे इस वैश्विक संकल्प की पुनः पुष्टि की गई है कि सतत् शहरी राष्ट्रीय और-राष्ट्रीय उप ,क्षेत्रीय ,विकास सभी संबद्ध पक्षों की भागीदारी के साथ वैश्विक स्थानीय स्तरों पर समन्वित और संयोजित रूप में सतत् विकास हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। नए शहरी एजेंडा के क्रियान्वयन से सतत् विकास के लिए 2030 साथ नगरों-एजेंडा को समन्वित रूप में लागू करने और स्थानीय स्तर पर अपनाने के साथ सशक्त और टिकाऊ बनाने से संबद्ध लक्ष्य ,निरापद ,और मानव बस्तियों को समावेशी 11 सहित सतत् विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

10. नए शहरी एजेंडा में स्वीकार किया गया है कि संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता मानव बस्तियों और नागरिकों के सतत् ,मानव जाति को समृद्ध करने के स्रोत हैं तथा शहरों

---

[8] रियो द जिनेरो ,पर्यावरण और विकास के बारे में संयुक्त सम्मेलन की रिपोर्ट, 3-14 जून, 1992, संस्करण I, बिक्री संख्या ई ,संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन) सम्मेलन द्वारा अनुमोदित संकल्प 93.I.8 संकल्प ,(और शुद्धिपत्र 1, अनु. I

[9] काहिरा ,जनसंख्या और विकास के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट, 5-13 सितम्बर, 1994 (संयुक्त बिक्री संख्या ई ,राष्ट्र प्रकाशन 95.XIII.18) अध्याय 1, संकल्प 1, अनु.

[10] चौथे विश्व महिला सम्मेलन की रिपोर्ट बीजिंग, 4-15 सितम्बर, 1995 (बिक्री ,संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन संख्या ई. 96.IV.13) अध्याय 1, संकल्प 1, अनु. II

New Delhi, India - Andrzej Wrotek ©

जिससे वे विकास प्रयासों में सक्रिय और ,विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं अनूठी भूमिका निभाने के लिए सशक्त होते हैं। नए शहरी एजेंडा में यह भी मान्यता है कि खपत और उत्पादन के नए सतत् स्वरूपों के संवर्धन और क्रियान्वयन में भी संस्कृति का ध्यान रखा जाना चाहिए जो संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग में योगदान करती है और जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को रोकती है।

हमारी साझी संकल्पना

11. हम सबके लिए नगरों की संकल्पना करते हैं जिसका संकेत नगरों और मानव बस्तियों जिसका उद्देश्य समावेशन को बढ़ावा देना ,के समतापूर्ण उपयोग और उपभोग की तरफ है किसी तरह के ,और यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सभी निवासी सशक्त और ,साधनों के भीतर ,सुलभ ,स्वस्थ ,निरापद ,भेदभाव के बिना न्यायोचित टिकाऊ नगरों तथा मानव बस्तियों में रहने और उत्पादक योगदान करने में समर्थ हों जिससे सबके लिए संपन्नता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा मिले। हम कुछ राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ,स्थानीय सरकारों के इन प्रयासों का संज्ञान लेते हैं कि उन्होंने अपने कानूनों के रूप में "नगर का अधिकार" अर्थात् "राइट टू द सिटी" घोषणाओं और उद्देश्य पत्रों में इस संकल्पना को समाहित किया है।

12. जहां सभी व्यक्ति ,हमारा उद्देश्य ऐसे नगरों और मानव बस्तियों की रचना करना है साथ मूल स्वतंत्रताओं का उपभोग कर-अपने लिए समान अधिकारों और अवसरों के साथ सकें और वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों से संचालित हों। इस संदर्भ में नए शहरी एजेंडा की बुनियाद मानव अधिकारों और [12]सहस्राब्दी घोषणा ,अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों ,[11]की सार्वभौम घोषणा

---

[11] संकल्प 217ए (III)

[12] संकल्प 55/2

2005 में निहित है। इसे विकास के अधिकार संबंधी [13]विश्व शिखर सम्मेलन निष्कर्षों जैसी अन्य संविदाओं से प्रेरणा मिली है। [14]घोषणा

13. जो ,हम ऐसे नगरों और मानव बस्तियों की संकल्पना करते हैं;

(,भूमि के सामाजिक और पारिस्थितिक क्रियाकलाप सहित ,अपने सामाजिक कर्तव्यों (अ का परिपालन इस तरह करें कि उपयुक्त आवास के अधिकार को बिना किसी भेदभाव के सबके ,सहन के उपयुक्त स्तर के अधिकार के अंग के रूप में पूर्ण रूप से साकार करने-रहन लिए सुरक्षित और साधनों के भीतर पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं सुलभ कराने तथा खाद्य आवागमन की सुविधा और ,बुनियादी सुविधाओं ,शिक्षा ,स्वास्थ्य ,सुरक्षा और पोषण हवा की गुणवत्ता और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक साधनों और ,ऊर्जा ,परिवहन उत्तम सेवाओं को सबके लिए समान रूप से सुलभ कराने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ते रहें;

(सभी निवासियों के बीच ,नागरिकों को जोड़ने को बढ़ावा दें ,भागीदारी पूर्ण हों (आ ,समावेशी ,परिवारों के प्रति उपयोगी निरापद ,अपनेपन और स्वामित्व की भावना जगाएं सामाजिक और पीढ़ियों के ,भरे और उत्तम सार्वजनिक स्थलों को प्राथमिकता दें-हरे ,सुलभ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक भागीदारी को यथोचित रूप से ,बीच संपर्कों समावेशन और संरक्षा ,शांतिपूर्ण तथा बहुलतावादी समाजों में सामाजिक सामंजस्य ,बढ़ाएं जहां सभी निवासियों की आवश्यकताएं पूरी हो और विकट परिस्थितियों में ,को बढ़ावा दें रहते लोगों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए;

(पुरुष समानता हासिल करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने-स्त्री (इ के लिए सभी क्षेत्रों में और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर नेतृत्व में महिलाओं को पूर्ण और सभी महिलाओं के लिए उत्तम कार्य ,कारगर भागीदारी तथा बराबर अधिकार प्रदान करें और समान कार्य के लिए समान वेतन अथवा समान मूल्य का कार्य सुनिश्चित करें तथा

---

[13] संकल्प 60/1

[14] संकल्प 41/128, अनु.

,निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करें और उनकी रोकथाम करें;

(समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों और ,वर्तमान तथा भविष्य में सतत् (ई अधिक ,शहरीकरण का उपयोग ढांचागत बदलाव ,अवसरों का पूरी तरह सामना करें संसाधनों के कुशल उपयोग और स्थानीय ,मूल्य संवर्धित गतिविधियों ,उत्पादकता अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता का लाभ उठाने के लिए करें तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ सतत् रूप से बढ़ने को समर्थन देते हुए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के योगदान का संज्ञान लें;

(सभी प्रशासनिक सेवाओं के भीतर अपने क्षेत्रीय कार्यकलापों को पूरा करें और सभी (उ टिकाऊ और समन्वित शहरी तथा क्षेत्रीय विकास के लिए गढ़ और ,स्तरों पर संतुलित संचालक के रूप में काम करें;

(,आयु तथा जैंडर की आवश्यकता के अनुरूप नियोजन तथा सबके लिए टिकाऊ (ऊ निरापद और सुलभ शहरी आवागमन सुविधाओं तथा यात्रियों और माल ढुलाई के लिए संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल करने वाली परिवहन प्रणालियों में निवेश को बढ़ावा दें सेवाओं और आर्थिक अवसरों को कारगर ढंग से जोड़ा जा ,माल ,स्थानों ,जिससे जनता सके;

(लाचारी ,अपशमन और प्रबंधन उपायों को अपनाएं और लागू करें ,आपदा जोखिम (ए प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की मार सहने और उनका सामना करने ,कम करें की क्षमता का निर्माण करें तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने और उसके अनुरूप ढलने की दिशा में बढ़ावा दें;

(विविधता को-प्राकृतिक पर्यावास और जैव ,जल ,अपनी पारिस्थितिक प्रणालियों (ऐ पर्यावरण पर उनके प्रभाव को ,उन्हें फिर से स्थापित करें और बढ़ावा दें ,संरक्षण दें ,संरक्षा कम से कम करें तथा खपत और उत्पादन के टिकाऊ तरीके अपनाएं।

हमारे सिद्धांत और संकल्प

14. अपनी संकल्पना को साकार करने के लिए हम निम्नलिखित परस्पर जुड़े सिद्धांतों से निर्देशित नए शहरी एजेंडा का अनुमोदन करने का संकल्प लेते हैं:

(निपट गरीबी के उन्मूलन सहित गरीबी के सभी रूपों और ,किसी को पीछे न छोड़ना (अ आर्थिक और सांस्कृतिक-सामाजिक ,बराबर अधिकारों और अवसरों ,आयामों को मिटाना ,शिक्षा ,रहने की सुविधा ,विविधता तथा शहरी स्थानों का समन्वयन सुनिश्चित करना तपेदिक और मलेरिया जैसी महामारियों के उन्मूलन सहित ,एड्स ,खाद्य सुरक्षा और पोषण सभी प्रकार के ,सुरक्षा को बढ़ाना ,स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुविधाओं को बढ़ाना सबके लिए निरापद और समान सुलभता प्रदान कर जन ,भेदभाव तथा हिंसा को मिटाना स्थूल तथा सामाजिक बुनियादी सुविधाएं और मूल सेवाएं एवं ,भागीदारी सुनिश्चित करना उपयुक्त तथा साधनों के भीतर आवास सबको समान रूप से सुलभ कराना;

(स्पर्धा क्षमता और नए उपायों सहित सुनियोजित शहरीकरण के ,उच्च उत्पादकता (आ समग्र लाभों का उपयोग करते हुए टिकाऊ और समावेशी शहरी अर्थव्यवस्थाएं सुनिश्चित उत्तम ,सबके लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा उत्तम कार्य को बढ़ावा देना ,करना रोजगार जुटाना और आर्थिक तथा उत्पादक संसाधनों और अवसरों तक सबके लिए समान जमीन के पक्के अधिकार को ,जमीन की सट्टेबाजी रोकना ,रास्ते सुनिश्चित करना प्रोत्साहित करना तथा जहां कहीं उपयुक्त हो शहरों की सिकुड़न को प्रबंधित करना;

(शहरी विकास में भूमि और संसाधनों के टिकाऊ विकास तथा स्वच्छ ऊर्जा के संवर्धन से (इ प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए स्वस्थ ,पर्यावरण का टिकाऊपन सुनिश्चित करना विविधता का संरक्षण-शैली अपनाने सहित पारिस्थितिक प्रणालियों और जैव-जीवन शहरी जोखिम सहनशीलता ,खपत और उत्पादन के टिकाऊ स्वरूपों को बढ़ावा देना ,करना आपदा जोखिम कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करना ,का निर्माण करना तथा उसके अनुरूप ढल जाना।

15. हम संकल्प लेते हैं कि शहरी व्यवस्था में आमूल बदलाव की दिशा में काम करते हुए नया शहरी एजेंडा:

(सतत् शहरी और क्षेत्रीय विकास को सबके लिए सतत् विकास और संपन्नता हासिल (अ ,वित्त व्यवस्था ,करने हेतू आवश्यक मानते हुए नगरों और मानव बस्तियों के नियोजन तरीकों में बदलाव करेगा-प्रशासन और प्रबंधन के हमारे तौर ,विकास;

(समावेशी और कारगर शहरी नीतियों की परिभाषा निर्धारण और क्रियान्वयन तथा (आ सतत् शहरी विकास के लिए कानून बनाने में यथोचित रूप से राष्ट्रीय सरकारों की अग्रणी साथ राज्य तथा स्थानीय सरकारों एवं प्रबुद्ध समाज तथा अन्य संबद्ध-भूमिका और साथ पक्षों के समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान को पारदर्शी और जवाबदेह रूप में मान्यता देगा;

(आयु और जेंडर के अनुरूप ,जन केन्द्रित ,शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए टिकाऊ (इ जिसके लिए परिवर्तन के बुनियादी सिद्धांतों के आधार ,एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाएगा क्षमता विकास और कार्रवाइयां अपनाएगा ,रणनीतियां ,पर सभी स्तरों पर ऐसी नीतियां जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(जिनमें ,उपयुक्त स्तर पर शहरी नीतियों का विकास और क्रियान्वयन (क नगरों और मानव बस्तियों के लिए ,राष्ट्रीय और विविध पक्षों की भागीदारी हो ,स्थानीय समन्वित प्रणालियों का निर्माण और सतत् समन्वित शहरी विकास हासिल करने के लिए सरकार के सभी स्तरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना;

(जो ,ऐसी ठोस संस्थाओं और तंत्रों के साथ शहरी प्रशासन को पुष्ट करना (ख शहरी संबद्ध पक्षों को सशक्त और समाहित करे तथा उपयुक्त नियंत्रण और संतुलन रखते हुए शहरी विकास योजनाओं में निश्चितता तथा सामंजस्य प्रदान करें जिससे सामाजिक समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण हो सके ,टिकाऊपन ,समावेशन;

(दीर्घावधि और समन्वित शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन तथा डिजाइन में नए (ग प्राण फूंकना जिससे शहरी स्वरूप के स्थानिक आयाम का अधिकतम उपयोग हो तथा शहरीकरण के सार्थक परिणाम मिले;

(नवीन और टिकाऊ वित्तीय ढांचों और साधनों को समर्थन ,ऐसे कारगर (घ जो नगरपालिकाओं के लिए धन और स्थानीय वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करें ,देना

उसे स्थायी ,जिससे समावेशी रूप में सतत् शहरी विकास से उत्पन्न मूल्य की रचना हो सके रूप दिया जा सके और बांटा जा सके।

कार्रवाई का आह्वान

16. -कस्बों और गांवों की विशिष्ट परिस्थितियां अलग ,वैसे तो सभी आकार के नगरों भागीदारी और जन ,दायरे ,फिर भी हम पुष्टि करते हैं कि नया शहरी एजेंडा ,अलग होती हैं दीर्घकालिक संकल्पना ,पृथ्वी का संरक्षण करता है ,केन्द्रित होने की दृष्टि से सार्वभौम है राज्य और स्थानीय स्तरों पर ऐसी ,राष्ट्रीय ,क्षेत्रीय ,से संचालित है और वैश्विक प्राथमिकताएं और उपाय तय करता है जिन्हें प्रत्येक देश में सरकारें और अन्य संबद्ध पक्ष अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना सकते हैं।

17. अपने देशों में और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर लागू-हम नए शहरी एजेंडा को अपने क्षमताओं और विकास के स्तर का ध्यान ,करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों की वास्तविकताओं नीतियों एवं प्राथमिकताओं का सम्मान करते ,रखते हुए तथा राष्ट्रीय कानून और प्रथाओं हुए काम करेंगे।

18. हम पर्यावरण और विकास के बारे में रियो घोषणा पत्र के सभी सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करते हैं जिनमें सिद्धांत 7 भिन्न जिम्मेदारियों का सिद्धांत-के अनुसार साझी किन्तु भिन्न शामिल है।

19. ,विशेषकर ,हम स्वीकार करते हैं कि नया शहरी एजेंडा लागू करते समय सभी देशों जमीन से घिरे ,सबसे कम विकसित देशों ,अफ्रीकी देशों सहित विकासशील देशों विकासशील देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के सामने मौजूद अनूठी और उभरती हुई शहरी विकास चुनौतियों तथा मध्यम आय वाले देशों के सामने मौजूद विशेष चुनौतियों विदेशी कब्जे ,का सामना करने पर विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा संघर्ष में घिरे देशों संघर्ष के उपरान्त की परिस्थिति वाले देशों और प्राकृतिक तथा मानव ,वाले देशों और क्षेत्रों निर्मित आपदाओं से पीड़ित देशों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

20. एड्स से/एचआईवी ,विकलांगों ,बच्चों और युवाओं ,हम महिलाओं और लड़कियों तंग बस्ती और ,मूल निवासियों और स्थानीय समुदा यों ,वृद्धजनों ,प्रभावित लोगों छोटी जोत वाले किसानों और ,श्रमिकों ,बेघर लोगों ,अनौपचारिक बस्ती निवासियों देश के भीतर विस्थापितों और प्रवासन के ,घर वापस लौटे लोगों ,शरणार्थियों ,मछुआरों दर्जे के भेदभाव के बिना सभी प्रवासियों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के भेदभाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत समझते हैं।

21. साथ सभी संबद्ध पक्षों से आग्रह-राज्यों और स्थानीय सरकारों के साथ ,हम सभी देशों उसे नई ,करते हैं कि वे अपनी राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों के अनुरूप साझेदारी बनाएं समन्वय और सहयोग बढ़ाएं जिससे नया शहरी एजेंडा कारगार ढंग ,शक्ति और मजबूती दें से लागू हो सके और हमारी साझी संकल्पना साकार हो सके।

22. हम इस नये शहरी एजेंडा को सतत् शहरी विकास को प्रोत्साहित और हासिल करने के लिए एक सामूहिक संकल्पना और राजनीतिक संकल्प के रूप में तथा तेजी से शहरीकृत होते विश्व में सतत् विकास के संचालक के रूप में नगरों और मानव बस्तियों की प्रमुख भूमिका का लाभ उठाने के ऐतिहासिक अवसर के रूप में अनुमोदित करते हैं।

नये शहरी एजेंडा के लिए कवटो क्रियान्वयन योजना

23. हम संकल्प लेते हैं कि नये शहरी एजेंडा को ऐसे प्रमुख साधन के रूप में अपनाएंगे राज्य और स्थानीय सरकारें तथा सभी संबद्ध पक्ष सतत् शहरी विकास ,जिससे राष्ट्रीय हासिल करने में समर्थ हो सकें।

सतत् शहरी विकास के लिए परिवर्तनकारी संकल्प

24. सतत् शहरी विकास की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए हम शहरी नीति में सतत् में निहित-आर्थिक और पर्यावरणीय ,सामाजिक-विकास के समन्वित और अदृश्य आयामों आमूल परिवर्तन के माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तनकारी संकल्प लेते हैं।

सामाजिक समावेशन और गरीबी उन्मूलन के लिए सतत् शहरी विकास

25. गरीबी के सभी रूपों और आयामों का उन्मूलन ,हम मानते हैं कि निपट गरीबी सहित सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती तथा सतत् विकास की अपरिहार्य आवश्यकता है। हम यह भी मानते हैं कि बढ़ती असमानता और तंग बस्तियों एवं अनौपचारिक बस्ती निवासियों की बढ़ती संख्या सहित गरीबी के विविध आयामों के जारी रहने का असर विकसित और शहरी स्थलों के ,सुलभता ,विकासशील दोनों देशों पर पड़ रहा है। स्थानिक संगठन साथ बुनियादी ढांचे और मूल सेवाओं की व्यवस्था एवं विकास नीतियों-डिजाइन के साथ समानता और समावेशन को बढ़ावा भी मिल सकता है ,के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य या बाधा भी आ सकती है।

26. ,हम ऐसे शहरी और ग्रामीण विकास के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं जो जन केन्द्रित पृथ्वी का संरक्षक और आयु तथा जैंडर की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हम सभी मानव हर तरह ,मिलकर जीने में सहायता करने ,अधिकारों और मूल स्वतंत्रता को साकार करने सभी व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त करने तथा ,के भेदभाव और हिंसा को मिटाने उनकी पूर्ण और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी लेते हैं। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि अपने नगरों और शहरी बस्तियों के मानवीकरण में संस्कृति के संवर्धन एवं विविधता तथा समानता के प्रति सम्मान को मुख्य तत्व मानेंगे।

27. हम अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। हम यह भी संकल्प लेते हैं ,कि शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले साझे अवसरों और लाभों को बराबर प्रोत्साहित करेंगे मर्यादित और ,औपचारिक या अनौपचारिक बस्तियों में सभी निवासियों को शालीन लाभकारी जीवन जीने तथा अपनी पूर्ण मानवीय प्रतिभा को साकार करने की सामर्थ्य देंगे।

28. देश के भीतर विस्थापितों और प्रवासन के दर्जे के ,हम संकल्प लेते हैं कि शरणार्थियों भेदभाव के बिना सभी प्रवासियों के मानव अधिकारों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करेंगे और उनके मेजबान नगरों को राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से समर्थन देंगे। ऐसा करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या में आबादी के कस्बों और नगरों में चले आने से उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बावजूद शहरी जीवन में आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान भी हो सकता है। हम यह भी ,महत्वपूर्ण सामाजिक राज्य और स्थानीय स्तरों पर विकास तथा ,राष्ट्रीय ,क्षेत्रीय ,संकल्प लेते हैं कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के बीच सामंजस्य को पुष्ट करेंगे। इसके लिए सुनियोजित और व्यवस्थित और नियम संचालित ,सुव्यवस्थित प्रवासन नीतियों के माध्यम से सुरक्षित प्रवासन सुनिश्चित कराएंगे तथा स्थानीय अधिकारियों को ऐसे नियम बनाने में समर्थन देंगे ग्रामीण संपर्क भी मजबूत हो।-जिससे प्रवासी शहरों में सार्थक योगदान कर सकें एवं शहरी

29. हम संकल्प लेते हैं कि आपदाओं की मार से सबसे अधिक आशंकित समुदायों और बार तथा निरन्तर उत्पन्न मानवी य संकटों से प्रभावित समुदायों में निवेश पैदा करने-बार राज्य और स्थानीय ,सहित सबके लिए सामाजिक और मूल सेवाओं की व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकारी-सरकारों की यथायोग्य समन्वय भूमिका और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं एवं गैर संगठनों के साथ सहयोग को पुष्ट करेंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि शहरी माहौल में निवास की सुविधा और शालीन तथा ,संकट से पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त सेवाएं उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे एवं स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों टिकाऊ और गरिमापूर्ण समाधानों के विकास तथा उनसे जुड़ने ,के साथ मिलकर स्थानीय के अवसरों का पता लगाएंगे। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित व्यक्तियों और समुदायों तक सहायता भी पहुंचती रहे ताकि वे विकास के मामले में पिछड़ न जाएं।

Surabaya, Indonesia

30. हम यह स्वीकार करते हैं कि सरकारों और प्रबुद्ध समाज को सशस्त्र संघर्षों के दौरान पुष्ट शहरी सेवाओं को और समर्थन देना चाहिए। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानदेय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान की पुनः पुष्टि की जानी चाहिए।

31. राज्य और स्थानीय आवास नीतियों को ,हम संकल्प लेते हैं कि ऐसी राष्ट्रीय सहन के उपयुक्त स्तर के अधिकार के अंग के रूप में सबके लिए-प्रोत्साहित करेंगे जो रहन जो भेदभाव और ,देती हों सहारा धीरे हासिल करने को-उपयुक्त आवास का अधिकार धीरे जबरन बेदखल किए जाने को रोकती हों और बेघर ,अहिंसा के सभी रूपों को मिटाती हों कम आय वाले समूहों और विकलांगजनों की ,लाचारी में फंसे व्यक्तियों ,व्यक्तियों साथ ही राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के अनुरूप पर्यावास ,आवश्यकताओं पर ध्यान देती हों की स्थानीय व्यवस्था को समर्थन देने सहित इन नीतियों के नियोजन और क्रियान्वयन में जोड़ती हों। ,समुदायों और संबद्ध पक्षों को भागीदारी देती हों

32. स्वास्थ्य सेवा और ,शिक्षा ,विशेषकर रोजगार ,हम संकल्प लेते हैं कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक समन्वय क्षेत्रों में तथा सरकार में नीतियों और दृष्टिकोण के सभी स्तरों पर समन्वित और आयु तथा जेंडर अनुकूल आवास नीतियों और दृष्टिकोण के विकास को संसाधन ,सुलभ ,साधनों के भीतर ,बढ़ावा देंगे। इन नीतियों और दृष्टिकोणों में उपयुक्त सुसंबद्ध और सही जगह पर स्थित आवास की व्यवस्था होगी। ,पुष्ट ,सुरक्षित ,अनुकूल पास के कामकाजी क्षेत्रों के-इसमें निकटता के कारक तथा शेष शहरी माहौल और आस साथ स्थानिक संबंध को पुष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

33. साधनों के भीतर और समाज में विभिन्न आय वर्गों ,हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे सुरक्षित के सदस्यों के लिए सुलभ ऐसे विविध उपयुक्त आवास विकल्पों की आपूर्ति बढ़ाने में बेघर लोगों और लाचार ,योगदान करेंगे। ऐसा करते समय हाशिए पर जीते समुदायों आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय का ध्यान रखा-परिस्थितियों में फंसे लोगों के सामाजिक सहन की परिस्थितियां-थलग न पड़ सकें। हम बेघर लोगों के रहन-जाएगा ताकि वे अलग सुधारने के लिए अनुकूल कदम उठाएंगे जिससे समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी हो। हम साथ-लोगों को बेघर होने से रोकने और इस समस्या को पूरी तरह मिटाने के साथ अपराधीकरण की समस्या का सामना करने और उसे मिटाने पर भी ध्यान देंगे।

34. हम संकल्प लेते हैं कि किसी तरह के भेदभाव के बिना हम सबके लिए टिकाऊ बुनियादी स्थूल और सामाजिक बुनियादी ढांचे को समान रूप से और साधनों के भीतर ,आवास ,सफलता को प्रोत्साहन देंगे। इनमें साधनों के भीतर सेवाओं से युक्त जमीन सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ संरक्षित पौष्टिक एवं पर्याप्त ,आधुनिक और अक्षय ऊर्जा ,शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन ,निरन्तर आवाजाही ,कचरा निपटान ,भोजन संस्कृति और सूचना तथा संपर्क टैक्नॉलॉजी की सुविधा शामिल है। हम यह सुनिश्चित वृद्धिजनों और ,बच्चों और युवाओं ,करने का संकल्प भी लेते हैं कि ये सेवाएं महिलाओं साथ लाचारी की-मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों के साथ ,प्रवासियों ,विकलांगों परिस्थितियों में फंसे अन्य लोगों के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील आर्थिक और भौतिक बाधाओं को-सामाजिक ,संस्थागत ,हों। इस संदर्भ में हम कानूनी मिटाने को प्रोत्साहित करते हैं।

35. हम संकल्प लेते हैं कि राज्य और स्थानीय सरकार सहित सरकार के उपयुक्त स्तर पर पट्टेदारी के प्रकार में विविधता लाने एवं ,सबके लिए पट्टेदारी को अधिक सुरक्षित बनाने जैंडर और पर्यावरण के प्रति अनुकूल समाधान तलाशने को प्रोत्साहन देंगे। ,आयु ,उद्देश्य यह समाधान भूमि और संपत्ति के अधिकारों के दायरे में होने चाहिए और असरदार प्रशासनिक प्रणालियों के माध्यम से महिलाओं के लिए भूमि की पट्टेदारी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उनके सशक्तिकरण के लिए परम आवश्यक है।

36. हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में ऐसे उपयुक्त उपायों को प्रोत्साहन विशेषकर सार्वजनिक ,देंगे जिससे विकलांग व्यक्तियों को नगरों के भौतिक वातावरण सूचना और-जन ,शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं ,आवास ,सार्वजनिक परिवहन ,स्थलों एवं ऐसी अन्य सुविधाएं और सेवाएं अन्य (आईटी प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों सहित) संदेशों व्यक्तियों के समान सुलभ हों जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनता के लिए दी जाती हैं।

37. पर्यावरण अनुकूल ,सर्व सुलभ ,समावेशी ,हम संकल्प लेते हैं कि हम ऐसे निरापद ,फुटपाथ ,और उत्तम गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्थलों को प्रोत्साहन देंगे जिनमें सड़क

बगीचे शामिल हैं। यह विविध-बाग ,झील आदि के किनारे ,नदी ,चौक ,साइकल लेन मानव स्वास्थ्य एवं ,व्यक्तियों और संस्कृतियों के बीच सामाजिक संपर्क और समावेशन सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं संवाद के लिए बहुउपयोगी क्षेत्र हैं ,आर्थिक संपर्क ,कल्याण समावेशी और जन ,साथ शांतिपूर्ण-जिनका डिजाइन और प्रबंधन मानव विकास के साथ संपर्क जोड़ने और सामाजिक ,भागीदारी युक्त समाज सुनिश्चित करने तथा मिलकर रहने समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

38. हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को यथायोग्य समन्वित शहरी और क्षेत्रीय नीतियों एवं राज्य और स्थानीय स्तर पर पर्याप्त निवेश के माध्यम से निरन्तर संजोकर रखा ,राष्ट्रीय ,मूल संस्कृतियों ,संग्रहालयों ,जाएगा जिससे सांस्कृतिक बुनिया दी ढांचों और स्थलों साथ पारंपरिक ज्ञान और कलाओं का संरक्षण और संवर्धन हो सके।-भाषाओं के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के पुनर्वसन और जीर्णोद्धार में तथा सामाजिक भागीदारी एवं-इसके साथ नागरिकता के अधिकार के उपयोग को मजबूत करने में उनकी भूमिका भी उजागर होती है।

39. समावेशी ,स्वस्थ ,हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में ऐसे निरापद और संरक्षित माहौल को प्रोत्साहन देंगे जिससे सभी लोग शहरी जीवन में हिंसा और काम कर सकें और भागीदारी कर सकें। ऐसा ,धमकाये जाने की आशंका के बिना जी सकें महिलाओं और ,करते समय लाचारी की परिस्थितियों में अकसर फंस जाने वाले व्यक्तियों कम ,विवाह-लड़कियों एवं बच्चों तथा युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम बाल आयु में जबरन विवाह और महिला जननांग भंग करने की प्रथा सहित महिलाओं और लड़कियों के लिए हानिकारक प्रथाओं को मिटाने की दिशा में भी काम करेंगे।

40. -अंतर ,हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में सामाजिक सामंजस्य परस्पर ,सहनशीलता ,सांस्कृतिक संवाद एवं सभी व्यक्तियों के प्रति आपसी समझ पहचान और निरापदता तथा ,समावेशन ,उद्यमशीलता ,नई सोच ,जेंडर समानता ,सम्मान गरिमा को मजबूत करने के लिए तथा रहने योग्य परिस्थितियों एवं जीवंत शहरी अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु विविधता को अंगीकार करेंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि

यह सुनिश्चित करने के उपाय अपनाएंगे कि स्थानीय संस्थाएं तेजी से बढ़ते बहुसांस्कृतिक और विविधतापूर्ण समाजों में बहुलतावाद और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन दें।

41. हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानवीय बस्तियों में राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप वैधानिक और वित्तीय ,समावेशी मंचों का दायरा बढ़ाने के लिए ऐसे संस्थागत राजनीतिक नियोजन और आगे कार्रवाई की प्रक्रियाओं में सबको ,जो निर्णय लेने ,तंत्रों को बढ़ावा देंगे सार्थक भागीदारी दें और जन भागीदारी एवं सह प्रावधान तथा सह उत्पादन को बढ़ाएं।

42. हम राज्य और स्थानीय सरकारों को यथोचित समर्थन देंगे कि वे सभी संबद्ध पक्षों के आयु और जैंडर अनुकूल दृष्टिकोणों ,बीच संपर्क को पुष्ट करने में अपनी भूमिका निभा सकें बच्चों और ,सहित संवाद के अवसर दे सकें। ऐसा करते समय पुरुषों और महिलाओं देश ,शरणार्थियों ,मूल निवासियों एवं स्थानीय समुदायों ,वृद्धजनों एवं विकलांगों ,युवाओं के भीतर विस्थापितों और प्रवासन के दर्जे के भेदभाव के बिना सभी प्रवासियों सहित समाज जाति ,धर्म ,के सभी वर्गों के संभावित योगदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें नस्ल आर्थिक हैसियत का कोई भेदभाव नहीं होगा।-या सामाजिक

सतत् और समावेशी शहरी सम्पन्नता एवं सबके लिए अवसर

43. उत्पादक रोजगार और शालीन काम के साथ ,हम मानते हैं कि सबके लिए पूर्ण सतत् शहरी एवं क्षेत्रीय विकास का एक प्रमुख ,निरन्तर समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि ,अंग है। नगरों एवं मानव बस्तियों में समान अवसर मिलने चाहिए जिससे लोग स्वस्थ पूरा जीवन जी सकें।-संपन्न और भरा ,उत्पादक

44. बुनियादी ढांचा और इमारतों के डिजाइन लागत और ,हम मानते हैं कि शहरी स्वरूप संसाधनों के कुशल उपयोग में सबसे अधिक सहायक होते हैं। विस्तार और समन्वय से ,झटके सहने की क्षमता ,अक्षय ऊर्जा ,ऊर्जा कुशलता ,अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है पर्यावरण संरक्षण और शहरी अर्थव्यवस्था की सतत् वृद्धि को बढ़ावा मिलता ,उत्पादकता है।

45. सतत् और समावेशी शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकसित ,हम संकल्प लेते हैं कि जीवंत सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय संसाधनों के ,स्पर्धा लाभों ,स्थानिक संभावनाओं ,करेंगे ,साथ संसाधन कुशल और झटके सहने में समर्थ बुनियादी ढांचे का उपयोग करेंगे-साथ सतत् और समावेशी औद्योगिक विकास एवं खपत और उत्पादन के सतत् स्वरूपों को साथ आजीविका के लिए अनुकूल माहौल-बढ़ावा देंगे तथा कारोबार और नई खोज के साथ बनाएंगे।

46. हम संकल्प लेते हैं कि आर्थिक विकास में सामाजिक पर्यावास उत्पादन सहित कम खर्च में टिकाऊ आवास और आवास वित्त की सुविधा की भूमिका एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादकता प्रेरित करने में इस क्षेत्र के योगदान को प्रोत्साहन देंगे। हम यह मानेंगे कि रोजगार उत्पत्ति एवं बचत में वृद्धि होती है ,आय ,आवास की सुविधा से पूंजीगत आधार राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर सतत् एवं समावेशी आर्थिक परिवर्तन लाने ,और यह राष्ट्रीय में योगदान कर सकता है।

47. सरकार तथा कामकाजी ,हम संकल्प लेते हैं कि स्थानीय आर्थिक विकास को समर्थन एकीकरण और संवाद को ,सहयोग ,क्षेत्रों और संबद्ध पक्षों के सभी स्तरों पर तालमेल राज्य और स्थानीय संस्थाओं को पुष्ट करने की दिशा में उपयुक्त ,बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय कदम उठाएंगे।

48. हम शहरी आर्थिक विकास के अवसर पहचानने एवं मौजूदा तथा उभरती चुनौतियों का पता लगाकर उनका सामना करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों के बीच असरदार भागीदारी और महिला और ,निजी क्षेत्र एवं प्रबुद्ध समाज ,सहयोग को बढ़ावा देंगे इनमें स्थानीय सरकारें शिक्षण ,मूल निवासियों और पेशेवरकर्मियों के संगठन ,विकलांगजनों ,युवा संगठन प्रवासी संघ और सांस्कृतिक संघ शामिल हैं। ,नियोक्ता संगठन ,मजदूर संघ ,संस्थाएं

49. हम संकल्प लेते हैं कि उन क्षेत्रीय तंत्रों को समर्थन देंगे जो शहरी और ग्रामीण क्रियाकलापों को राष्ट्रीय और राज्यों के स्थानिक दायरे तथा नगरों और मानव बस्तियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों और भूमि के-तंत्रों में समाहित करते हुए सतत् प्रबंधन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समान क्षेत्रीय विकास को-जिससे शहरी ,उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं

बढ़ावा देने की मांग और शहरी तथा ग्रामीण आपूर्ति को जोड़ने वाली विश्वसनीय आपूर्ति आर्थिक और क्षेत्रीय अंतर कम होते ,और मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित होती है तथा सामाजिक हैं।

50. ,प्रौद्योगिकी ,हम संकल्प लेते हैं कि टिकाऊ परिवहन और आवागमन को मजबूत कर ग्रामीण परस्पर संबंध-संचार नेटवर्क तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के जरिये शहरी आर्थिक एवं क्षेत्रीय ,सामाजिक ,और संपर्क को प्रोत्साहित करेंगे जिससे उत्पादकता साथ संरक्षा और पर्यावरण की रक्षा को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों की-सामंजस्य के साथ क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसमें नगरों और उनके चारों तरफ के सागर वृहत-साथ यथोचित भूमि-नगरों की परिधि और ग्रामी ण क्षेत्रों के साथ ,इलाकों संपर्कों के जरिए संपर्क साधन शामिल हैं।

51. हम संकल्प लेते हैं कि शहरी नियोजन और सतत् प्रबंधन को सहारा देने वाले डिजाइन प्राकृतिक संसाधनों और भूमि का ,के साधनों सहित शहरी स्थानिक दायरों के विकास मिट्टी भराई ,बहु केन्द्रीयता एवं मिश्रित उपयोग ,उपयुक्त ठोसपन और घनत्व ,उपयोग अथवा नियोजित शहरी विस्तार रणनीतियों में से जो भी यथोचित होगा उसे प्रोत्साहन देंगे। खाद्य प्रणाली का नियोजन पुष्ट ,तालमेल होगा ,इससे अर्थव्यवस्था का परिमाण बढ़ेगा शहरों की झटके सहने की शक्ति और पर्यावरण की ,होगा और संसाधनों की कुशलता निरंतरता बढ़ेगी।

52. हम संकल्प लेते हैं कि ऐसी स्थानिक विकास रणनीतियों को प्रोत्साहित करेंगे जो यथा सुलभ और व्यवस्थित ढंग ,आवश्यकता शहरी विस्तार को निर्देशित करने की आवश्यकता से जुड़ी हुई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए नियोजन के टिकाऊ जनसंख्या घनत्व और सुडौल डिजाइन ,जरिए शहरी नवीकरण को प्राथमिकता देने तथा नई बस्तियों को शहरी माहौल से जोड़ने को प्रोत्साहन देंगे जिससे शहरी तंग बस्तियों की बसावट न हो और लोग हाशिए पर न जिए।

53. पर्यावरण अनुकूल और उत्तम ,सर्व सुलभ ,समावेशी ,हम संकल्प लेते हैं कि निरापद सार्वजनिक स्थलों को सामाजिक और आर्थिक विकास के संचालक के रूप में प्रोत्साहित

Nairobi, Kenya - Eunika Sopotnicka ©

करेंगे ताकि संपत्ति के मूल्य सहित सामाजिक और आर्थिक मूल्य में वृद्धि करने और सार्वजनिक तथा निजी निवेश एवं सबके लिए आजीविका के अवसर में मदद ,कारोबार करने की उनकी क्षमता का टिकाऊ ढंग से उपयोग किया जा सके।

54. साथ टिकाऊ और-हम संकल्प लेते हैं कि नवीकरणीय और कम दाम की ऊर्जा के साथ कुशल परिवहन ढांचे तथा सेवाओं की यथासंभव उत्पत्ति और उपयोग करेंगे जिससे संपर्क शहरों में तपन बढ़ने के ,वायु प्रदूषण ,भीड़ ,का लाभ मिलेगा तथा अकुशल आवागमन पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य की लागत कम ,प्रभावों और शोर जैसे कारणों से वित्तीय होगी। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि गरीबों और अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों सहित सभी लोगों की ऊर्जा और परिवहन आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगे। हम यह भी संज्ञान लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की लागत कम होने से नगरों और मानव बस्तियों को ऊर्जा आपूर्ति की लागत कम करने का कारगर साधन मिल जाता है।

55. हम संकल्प लेते हैं कि स्वस्थ समाजों को बढ़ावा देंगे और उसके लिए विश्व स्वास्थ्य निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सर्व सुलभ-संगठन के सुझाव सहित वायु गुणवत्ता दिशा समावेशी और उत्तम जन सेवाओं एवं स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। इसके ,उपयुक्त साथ नवजात शिशु एवं मातृ मृत्यु कम करने के लिए यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य-साथ देखभाल सेवाओं की सर्व सुलभता सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसी सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

56. इसके ,हम संकल्प लेते हैं कि आर्थिक उत्पादकता को यथोचित ढंग से बढ़ाया जाएगा कौशल और ऐसी शिक्षा सुविधाएं सुलभ ,ज्ञान ,लिए श्रम शक्ति को आय अर्जक अवसर जो नवोन्मेष एवं स्पर्धी शहरी अर्थव्यवस्था में योगदान करें। हम यह भी ,कराई जाएंगी शालीन कार्य ,संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार एवं आजीविका अवसरों के संवर्धन के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाएंगे।

57. सबके ,हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार लिए शालीन कार्य और आजीविका अवसरों को यथोचित संवर्धन देंगे। ऐसा करते समय ,शरणार्थियों ,स्थानीय समुदायों ,मूल निवासियों ,विकलांगजनों ,युवाओं ,महिलाओं

आंतरिक रूप से विस्थापितों और सबसे गरीब एवं लाचार परिस्थितियों में जीते प्रवासियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम कानूनन आय कमाने के अवसरों की सुलभता में कोई भेदभाव भी नहीं होने देने का संकल्प लेते हैं।

58. हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण को टिकाऊ रखने और समावेशी संपन्नता के सिद्धांतों निष्पक्ष ,नवोन्मेष एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए सामर्थ्यकारी ,के आधार पर निवेश और दायित्वपूर्ण कारोबारी माहौल को प्रोत्साहित करेंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि स्थानीय कारोबारी समुदाय के सामने मौजूद चुनौतियों का निराकरण करेंगे। इसके लिए औपचारिक ,विशेषकर सामाजिक और एकजुट अर्थव्यवस्था में समूची मूल्य श्रृंखला में तथा अनौपचारिक दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं में सक्रिय कारोबारों और उद्यमों सहित लघु और मझौले उद्यमों एवं सहकारी समितियों को समर्थन देंगे। ,सूक्ष्म

59. हम संकल्प लेते हैं कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में अनौपचारि क अर्थव्यवस्था के घरेलू और प्रवासी श्रमिकों सहित महिलाओं के ,कामकाजी गरीबों विशेषकर बिना वेतन ,योगदान को राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मान्यता देंगे। उनकी आजीविका साधनों ,कौशल ,कानून एवं सामाजिक संरक्षण ,आमदनी की सुरक्षा ,कामकाजी शर्तों और अन्य सहायक सेवाओं तक पहुंच तथा आवाज एवं प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय करेंगे। मौजूदा आजीविकाओं के संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देते हुए प्रोत्साहन और अनुपालक उपायों को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए श्रमिकों और आर्थिक इकाइयों को निरन्तर औपचा रिक अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाया जाएगा। हम औपचारिक ,नीतियों ,कानून ,अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय परिस्थितियों प्रथाओं और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखेंगे।

60. हम संकल्प लेते हैं कि अत्यधिक मूल्य संवर्धि त क्षेत्रों के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्थाओं को निरन्तर उच्च उत्पादकता की तरफ ले जाने में सहारा और समर्थन देंगे। अनुसंधान और नवोन्मेष को प्रोत्साहन दिया ,प्रौद्योगिकी उन्नयन ,इसके लिए विविधिकरण जो सांस्कृतिक ,शालीन और उत्पादक रोजगार का सृजन शामिल है ,जाएगा। इसमें उत्तम मंच कला एवं धरोहर संरक्षण जैसी गतिविधियों ,टिकाऊ पर्यटन ,और रचनात्मक उद्योगों को प्रोत्साहन देने से संभव होगा।

61. हम संकल्प लेते हैं कि जनांकिकीय अनुपात से होने वाले लाभ का यथोचित उपयोग कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराकर नगरों ,करेंगे एवं युवाओं को शिक्षा -और शहरी बस्तियों में अधिक उत्पादकता और साझी संपन्नता हासिल करेंगे। लड़के युवतियां और युवक बेहतर भविष्य की रचना की दिशा में बदलाव के प्रमुख ,लड़कियां एजेंट हैं और अगर उन्हें सशक्त कर दिया जाए तो वे अपने और अपने समुदाय के हित में बहुत अधिक हिमायत कर सकते हैं। उनकी सार्थक भागीदारी के लिए अधिक एवं बेहतर अवसर सुनिश्चित करना नए शहरी एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक होगा।

62. ,हम संकल्प लेते हैं कि जहां कहीं उपयुक्त होगा वृद्ध होती जनसंख्या के सामाजिक -आर्थिक और स्थानिक प्रभावों से निपटेंगे और बढ़ती आयु को नए शालीन रोजगार के साथ समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि के लिए साधन के रूप में उपयोग करेंगे। ,साथ टिकाऊ साथ शहरी जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता सुधारी जाएगी।-इसके साथ

पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और सहनशील शहरी विकास

63. -जैव ,हम मानते हैं कि खपत और उत्पादन के टिकाऊ न कहे जा सकने वाले स्वरूपों प्राकृतिक एवं मानव निर्मित ,प्रदूषण ,पारिस्थितिकी पर दबाव ,विविधता के क्षय जलवायु परिवर्तन एवं उससे जुड़े जोखिमों से नगरों और मानव बस्तियों के ,आपदाओं सामने अभूतपूर्व खतरे उत्पन्न हो गए है। इनके कारण गरीबी के सभी रूपों और आयामों को मिटाने तथा सत्त विकास हासिल करने के सभी प्रयासों को चोट पहुंच रही है। शहरों के जलवायु परिवर्तन से जुड़े क्षति कम ,जनांकिकीय रुझानों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में करने और अपनाने योग्य उपायों एवं संसाधनों तथा पारिस्थितिकियों के उपयोग में उनकी ,वित्त व्यवस्था ,केन्द्रीय भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका नियोजन संचालन और प्रबंधन का तरीका शहरी सीमाओं के बाहर भी टिकाऊपन ,रचना ,विकास और मजबूती पर सीधा प्रभाव डालता है।

64. विशेषकर विकासशील देशों में शहरी केन्द्रों का ,हम यह भी मानते हैं कि दुनिया भर में प्राकृतिक एवं मानव ,अकसर ऐसा गुण होता है कि वे और उनके निवासी जलवायु परिवर्तन डूब एवं आंधी और ,बाढ़ ,चढ़ाव-मौसम में बहुत अधिक उतार ,निर्मित खतरों जैसे भूकम्प

Abu Dhabi, United Arab Emirates

जल ,सूखा ,जल का अभाव ,गर्मी की लहर ,मिट्टी से भरी हवाओं के चलने जैसे तूफानों समुद्र तल का स्तर बढ़ने जैसे कारणों के विपरीत ,कीटों से उत्पन्न रोगों ,एवं वायु प्रदूषण प्रभाव के सामने विशेष रूप से लाचार हो जाते हैं। समुद्र तल का स्तर ऊंचा उठने से डेल्टा क्षेत्रों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर असर पड़ता है। ,विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों

65. हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों में प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन इस ढंग से कराएंगे कि शहरी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण सेवाएं सुधरें और संरक्षित साथ आपदा-हानिकारक गैसों का उत्सर्जन और वायु प्रदूषण कम हो। इसके साथ ,हों समय पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित-जोखिम कमी की रणनीतियों के विकास एवं समय खतरों से आपदा जोखिम के आकलन को भी समर्थन देंगे। इससे सतत् आर्थिक विकास को बुनियादी ढांचे ,बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन और मूल सेवाओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता का संरक्षण जारी रहेगा।

66. हम संकल्प लेते हैं कि स्मार्ट शहरों का ऐसा दृष्टिकोण अपनाएंगे जिसमें सुविधाओं नई-साथ नई-स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के साथ ,और सेवाओं को डिजिटल रूप देने परिवहन प्रौद्योगिकी के अवसरों का उपयोग किया जाए। इस प्रकार निवासियों को अधिक सतत् आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी और नगर अपनी सेवा ,पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध होंगे प्रदान करने की व्यवस्था सुधार सकेंगे।

67. पर्यावरण ,सर्व सुलभ ,समावेशी ,निरापद ,हम संकल्प लेते हैं कि खुले बहुउद्देश्यीय अनुकूल एवं उत्तम सार्वजनिक स्थलों के सुविस्तारित एवं अच्छी तरह जुड़े हुए नेटवर्कों की सूखे के खतरों और ग्रीष्म लहर सहित ,रचना और रखरखाव को बढ़ावा देंगे। इससे बाढ़ ,आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की शहरों की क्षमता में सुधार होगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा घर के भीतर और ,खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर ,आकर्षक और रहने योग्य नगरों ,शोर कम होगा ,बाहर हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा मानव बस्तियों और शहरी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

68. तटवर्ती इलाकों और पर्यावरण की दृष्टि से ,हम संकल्प लेते हैं कि शहरी डेल्टा क्षेत्र ,आर्थिक संपन्नता ,खाद्य सुरक्षा ,परिवहन ,संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देंगे पारिस्थितिक सेवाओं और आपदाओं को सहने की शक्ति के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्वपूर्ण संसाधन प्रदाता के रूप में उनके महत्व को उजागर करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि सतत् शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास में उपयुक्त उपाय समाहित करेंगे।

69. हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों को सहारा देने वाले तटवर्ती क्षेत्रों ,सहित भूमि के पारिस्थितिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे खपत और उत्पादन के टिकाऊ स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक आधारित समाधानों को बढ़ावा देंगे ताकि पारिस्थितिकी की पुनर्जीवन क्षमता की हद पार न हो सके। शहरी विस्तार को ,हम यह भी संकल्प लेते हैं कि भूमि के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देंगे पर्याप्त घनत्वों और सुडौलता के साथ जोड़ेंगे जिससे शहरी तंग बस्तियों की रोकथाम हो -भूमि उपयोग में अनावश्यक परिवर्तन तथा उत्पादक भूमि के साथ ,और प्रसार सीमित रहे साथ नाजुक एवं महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी के क्षय को रोका जा सके।

70. हम संकल्प लेते हैं कि वस्तुओं और मूल सेवाओं के स्थानीय प्रावधान तथा संसाधनों आहार और ,जल ,की निकटता का लाभ उठाने को समर्थन देंगे। यह मानेंगे कि ऊर्जा सामग्री के दूर के स्रोतों पर बहुत भारी निर्भरता से टिकाऊपन की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती सेवा आपूर्ति में बाधा की आशंका हो सकती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ,हैं व्यवस्था करने से संसाधन निवासियों को सुलभ कराने में आसानी होती है।

71. ,सामग्री ,ऊर्जा ,(सागर और ताजा जल ,महासागर) जल ,हम संकल्प लेते हैं कि भूमि वन और आहार सहित संसाधनों के सतत् प्रबंधन को पुष्ट करेंगे। ऐसा करते समय वायु ,हानिकारक रसायनों ,पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रबंधन और सभी तरह के कचरे ग्रीन हाउस गैसों और शोर को कम से ,और जलवायु में कम समय रहने वाले दूषक तत्वों कामकाजी आपूर्ति एवं मूल्य ,कम रखेंगे और इस तरह संभालेंगे कि शहरी ग्रामीण संपर्क श्रृंखलाओं का पर्यावरण पर प्रभाव और टिकाऊपन से तालमेल रहे। इससे पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और नई एवं उभरती चुनौतियों का सामना करने की क्षमता ,पुनर्जन्म ,संरक्षण को बढ़ावा देते हुए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा जा सकता है।

72. हम संकल्प लेते हैं कि दीर्घकालिक शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन प्रक्रियाओं और स्थानिक विकास प्रथाओं को अपनाएंगे जिनमें समन्वित जल संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन ग्रामीण संपर्क निरन्तर रहे और संबद्ध-शामिल हो तथा स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शहरी पक्षों एवं समुदायों की भागीदारी हो।

73. शहरों के बाहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर ,हम संकल्प लेते हैं कि शहरी ,गंदे पानी की मात्रा घटाकर और उसे उपचारित कर ,जल संसाधनों को फिर से सक्रिय कर उपयोग को बढ़ावा देकर एवं जल पानी के दोबारा ,पानी की बर्बादी कम से कम रखकर जल संभरण बढ़ाकर जल के संरक्षण और ,चक्र को ध्यान में रखते हुए जल भण्डारण टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देंगे।

74. हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहित इस्तेमाल लायक बनाकर कम से कम कचरा उसे दोबारा ,करेंगे एवं कचरे की मात्रा घटाकर कचरे के ढलाव कम से कम रखेंगे और अगर कचरे को दोबारा इस्तेमाल नहीं ,पैदा करेंगे किया जा सके तो उससे ऊर्जा बनाएंगे। अगर यह पर्यावरण की दृष्टि से सर्वोत्तम उपाय होगा तब भी इसे अपनाएंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि तटवर्ती क्षेत्रों में कचरे और गंदे जल के बेहतर प्रबंध के जरिए समुद्री प्रदूषण कम करेंगे।

75. राज्य एवं स्थानीय सरकारों को यथोचित प्रेरित करेंगे ,हम संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रीय नवीकरणीय और सस्ती ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशल इमारतें एवं निर्माण साधन ,कि वे टिकाऊ ऊर्जा संरक्षण और कुशलता को प्रोत्साहित करें। ऐसा करना ग्रीन हाउस ,विकसित करें खपत और उत्पादन के टिकाऊ स्वरूप ,गैसों और काले कार्बन का उत्सर्जन कम करने जन स्वास्थ्य सुधारने एवं ऊर्जा ,नए शालीन रोजगार के अवसर जुटाने ,सुनिश्चित करने आपूर्ति की लागत कम करने के लिए आवश्यक है।

76. ,हम संकल्प लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करेंगे एवं कंकरीट खनिज और जमीन जैसी कच्ची और निर्माण सामग्री के कुशल उपयोग पर ,लकड़ी ,धातु ध्यान देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि सामग्री को सुरक्षित ढंग से निकालने और दोबारा टिकाऊ और मजबूत इमारतों के विकास ,इस्तेमाल योग्य बनाने की सुविधाएं स्थापित करेंगे

विषमुक्त और पुरानी सामग्री से तैयार सामग्री तथा सीसा ,को प्राथमिकता देंगे एवं स्थानीय मुक्त पेंट और कोटिंग के इस्तेमाल को प्राथमिकता देंगे।

77. हम संकल्प लेते हैं कि नगरों और मानव बस्तियों की सहनशीलता बढ़ाएंगे। इसके लिए आयु एवं जैंडर अनुकू ल नीतियां और योजनाएं तथा सेंदाई आपदा जोखिम ,समन्वित अपशमन फ्रेमवर्क 2015-2030 के अनुरूप पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाकर और लागू कर उत्तम बुनियादी ढांचे और स्थानिक नियोजन का विकास करेंगे। साथ ही विशेषकर झुग्गी बस्तियों सहित जोखिम की आशंका वाली औपचारिक और अनौपचारिक बस्तियों में लाचारी और जोखिम कम करने के लिए सभी स्तरों पर समग्र और आंकड़ों से जानकारी प्राप्त आपदा जोखिम अपशमन एवं प्रबंधन विधियों को मुख्यधारा में लाएंगे। संस्थाएं और सेवाएं झटकों या निहित तनावों सहित आपदाओं के ,समुदाय ,इससे परिवार उनके अनुरूप ढल ,उनका सामना कर सकेंगे ,प्रभावों से निपटने के लिए तैयार जो सकेंगे जो ,सकेंगे और तेजी से उबर सकेंगे। हम ऐसे बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देंगे आपदा सहने में सक्षम एवं संसाधन किफायती हो तथा आपदाओं के जोखिम तथा असर को कम कर सके। इसमें तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों का पुनर्वसन एवं उन्नयन शामिल है। हम तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों सहित जोखिम की आशंका वाली आवास इकाइयों को मजबूत और पुनः पुष्ट करने के उपाय भी प्रोत्साहित करेंगे जिससे वे आपदाओं को सहने में सक्षम हों। यह काम स्थानीय अधिकारियों और संबद्ध पक्षों के समन्वय से किया जाएगा।

78. हम संकल्प लेते हैं कि आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया करने के बजाय पहले ही सभी आपदओं के प्रति जागरुक और पूरे समाज के लिए उपयोगी ,जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसमें जोखिमों के बारे में जागरुकता पैदा करना और जोखिम से बचने तथा सहने की क्षमता पैदा करने के लिए निवेश को प्रोत्साहन शामिल है। इसके साथ ही प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं तथा संघर्षों से प्रभावित निवासियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय से असरदार स्थानीय उपाय भी सुनिश्चित करेंगे। इसमें आपदा के बाद उबरने की प्रक्रिया में वापस बेहतर निर्माण के ,सिद्धांतों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए जिसमें आपदा सहने में सक्षम भवन

Jakarta, Indonesia - AsiaTravel ©

पिछली आपदओं से मिले सबक अपनाए जाएं ,पर्यावरण और स्थानिक उपाय शामिल हों और भविष्य की योजना में नए जोखिमों की जागरुकता हो।

79. हम संकल्प लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने और उसका असर कम करने राज्य और स्थानीय कार्रवाई को प्रोत्साहित ,राष्ट्रीय ,सहित जलवायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय उनके निवासियों एवं सभी स्थानीय संबद्ध पक्षों के ,करेंगे तथा नगरों और मानव बस्तियों प्रयासों को समर्थन देंगे क्योंकि ऐसे उपाय अपनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि आपदा सहने की सामर्थ्य के निर्माण और सभी संबद्ध क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने को समर्थन देंगे। ऐसे उपाय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत अनुमोदित पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए और इनमें वैश्विक औसत तापमान वृद्धि की दर औद्योगीकरण के पूर्व के स्तरों से दो डिग्री सेल्सियस से कम रखना एवं तापमान वृद्धि औद्योगीकरण पूर्व स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित रखने के प्रयास करना शामिल है।

80. साथ-हम संकल्प लेते हैं कि मध्यम से दीर्घावधि अनुकूलन नियोजन प्रक्रिया के साथ जलवायु कमजोरी और प्रभाव के नगर स्तरीय आकलन को समर्थन देंगे जिससे ऐसी कार्यक्रम और कार्रवाई अपनाई जाएं जो जानकार हों और शहरी ,नीतियां ,योजनाएं शक्ति का निर्माण करें। इसमें पारिस्थितिकी आधारित अनुकूलन का-निवासियों की सहन उपयोग शामिल है।

प्रभावकारी क्रियान्वयन

81. हम यह मानते हैं कि नए शहरी एजेंडा में निर्धारित परिवर्तनकारी संकल्पों को पूरा करने राज्य और स्थानीय स्तरों पर सामर्थ्य इकाई नीतिगत ढांचों की जरूरत ,के लिए राष्ट्रीय होगी जिनमें शहरी स्थानिक विकास के लिए भागीदारी पर आधारित नियोजन और प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले तथा ,साथ क्रियान्वयन के असरदार उपाय शामिल हों-के साथ प्रदान-नीतियों और कार्यक्रमों के आदान ,सभी स्तरों पर सरकारों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं सहित क्षमता विकास के प्रयास किए जाएं।

82. हम संयुक्त राष्ट्र तंत्र एवं बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय ,अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं ,विकास सहयोगियों ,संगठनों और संस्थाओं निजी क्षेत्र और अन्य संबद्ध पक्षों को आमंत्रित करते हैं कि वे टिकाऊ ,क्षेत्रीय विकास बैंकों शहरीकरण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने और नए शहरी एजेंडा के क्रियान्वयन को मुख्यधारा में लाने के लिए अपनी शहरी एवं ग्रामीण विकास रणनीतियों तथा कार्यक्रमों में तालमेल बढ़ाएं।

83. इस संदर्भ में सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में समूचे संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर समन्वय और सामंजस्य सुधारने की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह काम सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुच्छेद 88 ,में निहित समूचे तंत्र के भीतर रणनीतिक नियोजन क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग के दायरे के भीतर होना चाहिए।

84. ,हम देशों से जोरदार आग्रह करते हैं कि ऐसे किसी भी तरह के एकतरफा आर्थिक वित्तीय अथवा व्यापार उपाय घोषित या लागू करने से बचें जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप न हों और जिनसे विशेषकर विकासशील देशों में पूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल करने में रुकावट आए।

सहायक फ्रेमवर्क की स्थापना :शहरी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण

85. -हम स्थानीय अभिकरणों के विकेन्द्रीकरण एवं पुष्टिकरण से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में-निर्देशों तथा सबके लिए मूल सेवाओं की सुलभता से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिशा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती ,शामिल सिद्धांतों और रणनीतियों को स्वीकार करते हैं की संचालन परिषद ने अपने प्रस्तावों (हैबीटैट-यूएन) कार्यक्रम 20 अप्रैल, 2007[15] के 21/3 एवं 3 अप्रैल, 2009 के 22/8[16] के माध्यम से अनुमोदित किया है।

86. लागू करने योग्य और भागीदारीपूर्ण शहरी नीतियों में नए शहरी एजेंडा ,हम समावेशी जिससे टिकाऊ शहरी एवं ,के असरदार क्रियान्वयन को यथोचित ढंग से शामिल करेंगे

---

[15] महासभा : देखें, 71परिशिष्ट संख्या ,वां सत्र के आधिकारिक रिकॉर्ड 8 (ए/62/8), अनु. ।

[16] उपरोक्त, 64वां सत्र परिशिष्ट संख्या 8 (ए/64/8) अनु. ।

क्षेत्रीय विकास को समन्वित विकास रणनीतियों और योजनाओं के अंग के रूप में राज्य और स्थानीय संस्थागत तथा ,मुख्यधारा में लाया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय नियमन फ्रेमवर्क द्वारा उपयुक्त समर्थन दिया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें पारदर्शी एवं जवाबदेह वित्तीय तंत्रों से पर्याप्त ढंग से जोड़ा जा सके।

87. राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच मजबूत समन्वय और सहयोग को ,हम राष्ट्रीय साथ सरकार-बढ़ावा देंगे। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श तंत्रों की स्थापना के साथ साधनों और संसाधनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया ,के हर स्तर पर संबद्ध क्षमताओं जाएगा।

88. हम क्षेत्रवार नीतियों के लक्ष्यों और उपायों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे जिसमें ,प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ,खाद्य सुरक्षा एवं पोषण ,भूमि उपयोग ,ग्रामीण विकास आवास एवं ,ऊर्जा के प्रावधान ,पर्यावरण ,स्वास्थ्य ,जल एवं स्वच्छता ,जन सेवाओं समूची प्रशासनिक सीमाओं के भीतर राजनीतिक प्रशासन के विभिन्न ,आवाजाही नीतियां स्तरों और दायरों में शामिल होंगी। उपयुक्त कामकाजी क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा जिससे शहरीकरण के लिए समन्वित दृष्टिकोणों को मजबूती मिले और इन सबको शामिल करने वाली समन्वित शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन रणनीतियों को अपनाया जा सके।

89. हम समानता और भेदभाव मुक्ति के सिद्धांतों के आधार पर ऐसा कानूनी नीतिगत दायरा स्थापित करने के उपाय अपनाएंगे जिससे राष्ट्रीय शहरी नीतियों को यथोचित और निर्माता एवं निर्णयकर्ता-असरदार ढंग से अपनाने की सरकारों की क्षमता बढ़े और वे नीति के रूप में सशक्त हो सकें। इसके लिए उपक्रम के सिद्धांत के आधार पर उपयुक्त वित्तीय राजनीतिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करना होगा।

90. हम विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप राज्य और स्थानीय सरकारों की यह क्षमता मजबूत करने को समर्थन देंगे जिससे वे सभी प्रशासनिक सीमाओं के भीतर स्थानीय जो कामकाजी सीमाओं ,एवं महानगरीय बहुस्तरीय प्रशासन को असरदार ढंग से चला सकें पर आधारित हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य और स्थानीय सरकारों की महानगरीय और क्षेत्रीय सरोकारों ,निर्णय लेने में भागीदारी होगी एवं उन्हें महत्वपूर्ण शहरी

Barcelona, Spain

से निपटने के लिए आवश्यक अधिकार और संसाधन मिलेंगे। हम ऐसे महानगरीय प्रशासन को प्रोत्साहन देंगे जो समावेशी हो और जिसमें परिस्थिति के अनुरूप टिकाऊ ऋण प्रबंधन सहित कानूनी ढांचे एवं विश्वसनीय वित्तीय तंत्र शामिल हों। हम सभी क्षेत्रों मेंएवं स्थानीय सरकारों सहित निर्णय लेने के सभी स्तरों पर नेतृत्व में महिलाओं की पूर्ण एवं असरदार भागीदारी तथा समान अधिकारों को प्रोत्साहन देने के उपाय अपनाएंगे।

91. हम स्थानीय सरकारों को अपने प्रशासनिक और प्रबंधकीय ढांचे यथोचित रूप से राष्ट्रीय कानून और नीतियों के अनुरूप तय करने में समर्थन देंगे ताकि वे स्थानीय प्रबुद्ध समाज और निजी क्षेत्र की ,आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। हम समुदायों भागीदारी से स्थानीय सरकारों के लिए उपयुक्त नियामक ढांचों को प्रोत्साहन और समर्थन यह ध्यान ,देंगे ताकि मूल सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं प्रबंधन हो सके दायित्वों और ,रखा जा सके कि जनहित का संरक्षण हो रहा है एवं सटीक लक्ष्यों जवाबदेही तंत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

92. मूल्यांकन और समीक्षा तक ,क्रियान्वयन ,बजट निर्धारण ,हम संकल्पना से डिजाइन शहरी और क्षेत्रीय नीति एवं नियोजन प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर भागीदारीपूर्ण आयु एवं जेंडर अनुकूल दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करेंगे जो सरकारों के सभी स्तरों और प्रबुद्ध समाज बसे हों। इनमें व्यापक आधार वाले और-के बीच सीधी भागीदारी के नए रूपों में रचे सुसंसाधित स्थायी तंत्र और सहयोग एवं परामर्श के लिए सबके लिए खुले मंच स्थापित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा तथा सर्व सुलभ आंकड़ा ,किए जाएंगे आधारित समाधान उपलब्ध होंगे।

शहरी स्थानिक विकास का नियोजन और प्रबंधन

93. निर्देशों में शामिल शहरी एवं-हम शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिशा क्षेत्रीय नियोजन सिद्धांतों एवं रणनीतियों को स्वीकार करते हैं जिनका अनुमोदन यूएन हैबीटैट के संचालन परिषद ने 23 अप्रैल 2015[17] के अपने प्रस्ताव 25/6 में किया था।

---

[17] उपरोक्त 70वां सत्र परिशिष्ट संख्या 8 (ए/70/8) अनु.

94. ,हम ऐसी समन्वित नियोजन प्रक्रिया अपनाएंगे जिसका उद्देश्य स्पर्धी अर्थव्यवस्था जीवन की ऊंची गुणवत्ता और टिकाऊ पर्यावरण के लिए अल्पावधि आवश्यकताओं और दीर्घकालिक अपेक्षित परिणामों के बीच संतुलन रखना हो। हम अपनी योजनाओं में ऐसा साथ बदलती सामाजिक-लचीलापन लाने का प्रयास भी करेंगे जिससे उन्हें समय के साथ और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सके। हम प्रौद्योगिकी में नई उपलब्धियों सहन का बेहतर माहौल बनाने के प्रयास करते हुए इन-का उपयोग करने और रहन योजनाओं को लागू करेंगे और इनका व्यवस्थित आकलन करेंगे।

95. बहुकेन्द्रित एवं संतुलित क्षेत्र विकास नीतियों और योजनाओं पर ,हम ऐसी समन्वित अमल को समर्थन देंगे जिनसे नगरों और मानव बस्तियों के विभिन्न परिमाणों के बीच खाद्य सुरक्षा एवं पोषण तंत्रों को बढ़ाने के ,सहयोग एवं परस्पर समर्थन को प्रोत्साहन मिले ,किफायती ,टिकाऊ ,लिए लघु और मध्यम नगरों और कस्बों की भूमिक मजबूत हो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और सेवाएं सर्व सुलभ ,मजबूत एवं निरापद आवास ,उपयुक्त ग्रामीण दायरे में असरदार व्यापार संपर्कों में मदद मिले और यह सुनिश्चित हो-शहरी ,हों क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य ,राष्ट्रीय ,राज्य स्तरीय ,कि छोटे किसान और मछुआरे स्थानीय साथ जिम्मेदार-श्रृंखलाओं तथा बाजारों से जुड़े रहें। हम शहरी खेती एवं किसानी के साथ स्थानीय और टिकाऊ खपत एवं उत्पादन तथा सामाजिक संपर्कों को भी समर्थन देंगे। इस दिशा में टिकाऊपन एवं खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए विकल्प के रूप में स्थानीय बाजारों एवं वाणिज्य के सामर्थ्यकारी एवं सर्व सुलभ नेटवर्क स्थापित होंगे।

96. हम नगर क्षेत्र एवं महानगरीय योजनाओं सहित टिकाऊ शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन के उनकी परिधि के ,प्रकार के शहरी क्षेत्रों-अमल को प्रोत्साहित करेंगे जिससे सभी आकार पार क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामंजस्य और संपर्क को प्रोत्साहन-क्षेत्रों और सीमा मिले। हम ऐसी टिकाऊ क्षेत्रीय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास को समर्थन देंगे ग्रामीण दायरे के भीतर सभी क्षेत्रों में-शहरी ,जिनसे टिकाऊ आर्थिक उत्पादकता उत्प्रेरित हो बराबर वृद्धि को प्रोत्साहन मिले। इस संदर्भ में हम कामकाजी सीमाओं और शहरी क्षेत्रों के आधार पर शहरी ग्रामीण भागीदारी एवं नगरपालिकाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देंगे जन सेवाएं प्रदान ,ताकि वह नगरपालिका और महानगर प्रशासनिक कार्यों को निपटाने

Hyderabad, Telangana, India - Ryan ©

करने तथा स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकास दोनों को प्रोत्साहित करने के असरदार साधन बन सकेंगे।

97. शहरी ,हम नियोजित ढंग से शहरों के विस्तार और भीतरी बसावट को प्रोत्साहन देंगे पुनर्जीवन और पुनः पुष्टिकरण को प्राथमिकता देंगे जिसमें ,क्षेत्रों के यथोचित नवीकरण उत्तम किस्म के भवन और ,तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों का उन्नयन शामिल है सभी संबद्ध पक्षों और निवासियों की भागीदारी से ,सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था होगी साथ-समन्वित दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देंगे एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ शहरी तंग बस्तियों को सीमित रखने और उनकी बसावट रोकने के उपाय अपनाते हुए आर्थिक अलगाव तथा वर्गीकरण से बचेंगे।-स्थानिक एवं सामाजिक

98. हम समन्वित शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन को प्रोत्साहित करेंगे जिसमें जमीन एवं ,बहुकेन्द्रीयकरण ,सुडौलता ,प्राकृतिक संसाधनों के समतापूर्ण कुशल एवं टिकाऊ उपयोग स्थान के एकाधिक उपयोग तथा निर्मित क्षेत्रों में ,उपयुक्त घनत्व और संपर्क सुविधा सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग के सिद्धांतों पर आधारित नियोजित शहरी विस्तार ,मिश्रित आवाजाही की चुनौतियां और ,शामिल है। इससे शहरी तंग बस्तियों का फैलाव रुकेगा घनत्व और परिमाण ,आवश्यकताएं तथा प्रतिव्यक्ति सेवा प्रदान करने की लागत कम होगी की किफायत एवं एकजुटता का यथोचित लाभ लिया जा सकेगा।

99. हम यथासंभव ऐसी शहरी नियोजन रणनीतियों को अपनाने का समर्थन करेंगे जो सामाजिक मेलजोल में सहायक होंगी। इसके लिए सबके लिए उत्तम मूल सेवाओं एवं ,सार्वजनिक स्थलों की सुलभता के साथ किफायती आवास विकल्पों की व्यवस्था होगी सामाजिक एवं पीढ़ीगत संपर्क होगा तथा विविधता का ,सुरक्षा एवं निरापदता बढ़ेगी सम्मान होगा। हम शहरी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले पेशेवर कर्मियों और समुदायों के लिए उपयु क्त प्रशिक्षण एवं समर्थन को शामिल करने के उपाय अपनाएंगे।

100. पर्यावरण अनुकूल और उत्तम सड़कों तथा अन्य ,हम ऐसे निरापद सर्व सुलभ सार्वजनिक स्थलों के अच्छी तरह डिजाइन किए गए जाल की व्यवस्था को समर्थन देंगे जो

यौन उत्पीड़न एवं जेंडर के कारण होने वाली हिंसा सहित अपराध और हिंसा ,सर्व सुलभ हों मानव समुदाय की संख्या को ध्यान में रखकर बने हों। हम ऐसे उपायों को भी ,से मुक्त हों ,समर्थन देंगे जो सड़क के स्तर की मंजिलों के सर्वोत्तम वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दें साथ-औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्थानीय बाजारों और वाणिज्य के साथ ,लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर लाएं ,बिना मुनाफे के सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा दें उनके पैदल चलने और साइकिल चलाने को प्रोत्सा हन दें जिससे उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाली में सुधार हो।

101. जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने एवं उसका असर ,हम आपदा जोखिम कम करने कम करने की आवश्यकताओं और उपायों को आयु एवं जेंडर के अनुकूल शहरी एवं क्षेत्रीय ,स्थलों ,विकास तथा नियोजन प्रक्रियाओं में शामिल करेंगे। इनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ,भवनों का सक्षमता आधारित और जलवायु के अनुरूप प्रभावकारी डिजाइन तथा निर्माण सेवाएं और बुनियादी ढांचा तथा प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं। हम सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं समन्वय को प्रोत्साहन देंगे तथा स्थानीय अधिकारियों की क्षमताएं विकसित करेंगे जिससे वे आपदा जोखिम कम करने और उसका सामना करने की योजनाएं बनाकर लागू कर सकें जिनमें वर्तमान तथा भावी सार्वजनिक सुविधाओं की भौगोलिक तथा पर्याप्त आपात एवं निकासी प्रक्रियाएं तय ,स्थिति का जोखिम आंकलन शामिल हो कर सके।

102. राज्य एवं ,हम शहरी नियोजन और डिजाइन की क्षमता सुधारने तथा राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर शहरी नियोजकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के प्रयास करेंगे।

103. हम शहरी संरक्षा एवं आतंकवा द तथा उसे जन्म देने वाले हिंसक उग्रवाद सहित ,अपराध और हिंसा की रोकथाम के लिए समावेशी उपाय समन्वित करेंगे। यह उपाय सरकारी पक्षों को शहरी-उपयुक्तता के अनुसार संबद्ध स्थानीय समुदायों और गैर रणनीतियां और पहल विकसित करने में शामिल करेंगे। ऐसा करते समय तंग बस्तियों और साथ जन सुरक्षा एवं अपराध और हिंसा रोकथाम से संबद्ध-अनौपचारिक बस्तियों के साथ नीतियों के विकास में लाचारी और सांस्कृतिक कारणों को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें

कुछ विशिष्ट समूहों को सुरक्षा के लिए हमेशा ही गंभीर खतरा मानने की प्रवृत्ति को रोकने और उसका प्रतिरोध करने के उपाय शामिल हैं।

104. हम भूमि पंजीकरण और प्रशासन से जुड़ी जवाबदेह संस्थाओं एवं मजबूत समावेशी प्रबंधन तंत्रों के माध्यम से कानूनी शर्तों के पालन को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए भूमि के साथ संपत्ति पंजीकरण और मजबूत-पारदर्शी एवं टिकाऊ प्रबंधन तथा उपयोग के साथ वित्तीय तंत्रों को अपनाया जाएगा। हम स्थानीय सरकारों और संबद्ध पक्षों को विभिन्न तंत्रों मूल्यांकन और जोखिम नक्शों सहित जमीन के ,बही ,के माध्यम से जमीनों के नक्शे किताब की बुनियादी जानकारी तथा जमीन और आवास मूल्यों के रिकॉर्ड का-हिसाब विकास और उपयोग करते हुए उत्तम किस्म के सामयिक और विश्वसनीय आंकड़े तैयार ,प्रवासन के दर्जे ,जाति ,नस्ल ,आयु ,लिंग ,करने में समर्थन देंगे। यह आंकड़े आय भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय संदर्भ में प्रासंगिक अन्य मानदंडों के अनुरूप ,अपंगता अलग किए जाएंगे और इनकी आवश्यकता भूमि के मूल्यांकन में बदलाव का-अलग आकलन करने के लिए होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका उपयोग भेदभावपूर्ण भूमि उपयोग नीतियों के लिए नहीं किया जाएगा।

105. हम जीवन के उपयुक्त स्तर के अधिकार के तहत उपयुक्त आवास के अधिकार को निरन्तर साकार करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। हम सभी स्तरों पर आवास नीतियां विकसित उनके लिए भागीदारीपूर्ण योजना बनाएंगे और जहां कहीं संभव होगा ,कर उन्हें लागू करेंगे ,राज्य एवं स्थानीय विकास रणनीतियों ,उपक्रमता का सिद्धांत अपनाएंगे ताकि राष्ट्रीय भूमि नीतियों और आवास आपूर्ति के बीच सामंजस्य हो सके।

106. आर्थिक कारगरता और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों पर ,हम सामाजिक समावेशन आधारित आवास नीतियों को प्रोत्साहन देंगे। हम उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं के साथ शहरों के केन्द्रीय और एकजुट क्षेत्रों में जमीन सहित किफायती और टिकाऊ आवास के लिए लोक संसाधनों के असरदार उपयोग को समर्थन देंगे एवं सामाजिक समावेशन तथा सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु मिश्रित आय विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

107. तंत्रों और वित्तीय मॉडलों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे ,साधनों ,हम ऐसी नीतियों टिकाऊ ,जिनसे किराए और पट्टेदारी के अन्य विकल्पों के साथ विविध प्रकार के किफायती सामुदायिक भूमि न्यास और सामूहिक ,आवास विकल्प सुलभ हों एवं सहकारी आवास पट्टेदारी जैसे सहकारी समाधान मिलें जिनसे व्यक्तियों और समुदायों की उभरती विशेषकर कम आय वर्ग में आवास की आपूर्ति में ,आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके अलगाव और मनमाने ढंग से जबरन घर से निकाले जाने एवं विस्थापन को रोका ,सुधार हो जा सके तथा लोगों को गरिमा के साथ उपयुक्त स्थानों पर फिर से बसाया जा सके। इसमें किस्तों पर आवास और स्वनिर्माण योजनाओं को समर्थन देना शामिल है जिसमें तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों के उन्नयन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

108. आवास ,रोजगार ,हम ऐसी आवास नीतियों के विकास को समर्थन देंगे जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बीच मजबूत संबंध का ध्यान रखते हुए स्थानीय समन्वित आवास दृष्टिकोण अलगाव और बहिष्करण को रोकेंगी। इतना ही नहीं हम संकल्प लेते हैं कि ,को बढ़ावा देंगी प्रथम कार्यक्रमों जैसी लक्षित सक्रिय समावेशन-समावेशी और टिकाऊ आवास ,समग्र रणनीतियों एवं समर्पित नीतियों के माध्यम से बेघरपन की स्थिति का सामना करेंगे तथा उसके अपराधीकरण को मिटाएंगे और उसका मुकाबला करेंगे।

109. हम जहां तक हो सके तंग बस्तियों और अनौपारिक बस्तियों को बसने से रोकने और जहां संभव उनके उन्नयन के लिए वित्तीय एवं मानव संसाधनों का आवंटन बढ़ाने पर विचार करेंगे। ऐसी रणनीतियां अपनाएंगे जो भौतिक और पर्यावरणी य सुधार से आगे बढ़कर ,सुनिश्चित करेंगी की तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों को शहरों के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों में सामाहित किया जा सके। इन रणनीतियों ,आर्थिक मूल एवं ,निरापद और किफायती आवास ,में जहां तक संभव हो टिकाऊ उपयुक्त सामाजिक सेवाएं तथा निरापद समावेशी सर्व सुलभ पर्यावरण अनुकूल और उत्तम सार्वजनिक स्थल सुलभ कराने का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन नीतियों से पट्टे की सुरक्षा रोकथाम और मध्यस्थता के ,साथ संघर्ष-और उसके नियमन को बढ़ावा मिलने के साथ उपाय शामिल होने चाहिए।

110. हम तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहते लोगों के अनुपात को कम करने के लिए समावेशी एवं पारदर्शी निगरानी प्रणालियों के निर्धारण एवं उन्हें मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देंगे। ऐसा करते समय तंग बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों के सहन की परिस्थितियों को सुधारने के पिछले प्रयासों के अनुभवों का-निवासियों की रहन लाभ लिया जाएगा।

111. हम आवास क्षेत्र में उपयुक्त एवं लागू करने लायक नियमों के विकास को प्रोत्साहन उपयोग-भू ,विकास परमिट ,मानक ,देंगे। इसमें जहां तक संभव हो मजबूत भवन संहिता ,सट्टेबाजी की रोकथाम और मुकाबला ,उपनियम एवं अध्यादेश तथा नियोजन नियम ,गुणवत्ता ,मनमाने ढंग से जबरन निकाले जाना तथा टिकाऊपन ,बेघरपन ,विस्थापन ऊर्जा और संसाधन कुशलता तथा सहनशीलता ,सुलभता ,सुरक्षा ,स्वास्थ्य ,किफायत पर्यावरण संबंधी एवं सांस्कृतिक आयामों को ,आर्थिक ,शामिल हैं। हम विशेष सामाजिक ,सामयिक ,राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर उत्तम किस्म के ,ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विश्वसनीय वर्गीकृत आंकड़ों के आधार पर आवास आपूर्ति और मांग के भिन्नीकृत विश्लेषण को भी प्रोत्साहन देंगे।

112. हम सतत् शहरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए सही जगह स्थित ,आवास और जन आवश्यकताओं को रणनीति के केन्द्र में रखा जाएगा और सही ढंग से वितरित आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि शहरी तंत्र से थलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आवास सुविधाओं के-एकदम अलग परिधि पर और अलग भले ही वे किसी भी सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लिए ,विकास से बचा जा सके विकसित की गई हों। इसके अलावा कम आय वर्गों की आवास आवश्यकता ओं का समाधान भी किया जाएगा।

113. हम सड़क सुरक्षा सुधारने और उसे आवाजाही तथा परिवहन की बुनियादी सुविधाओं के टिकाऊ ढांचे के नियोजन और डिजाइन में समाहित करने के उपाय करेंगे। जागरुकता साथ हम सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक में निहित सुरक्षित तंत्र-बढ़ाने के उपायों के साथ ,बच्चों और युवाओं ,दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे जिसमें सभी महिलाओं और लड़कियों विकलांगजनों और लाचारी में फंसे लोगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान ,वृद्धजनों

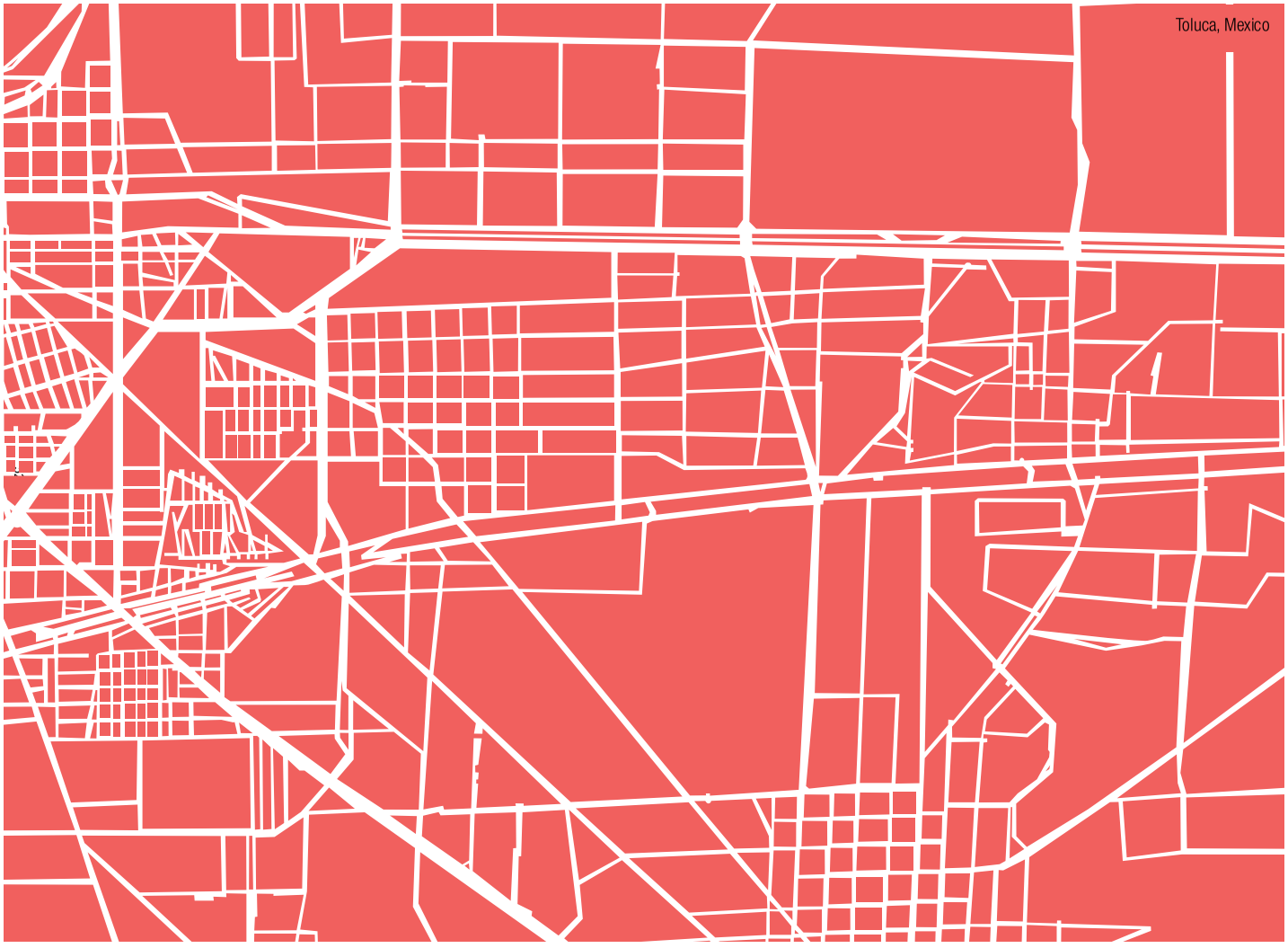
Toluca, Mexico

लागू करने और पालन कराने के लिए ,रखा जाएगा। हम ऐसी नीतियां और उपाय अपनाने काम करेंगे जिनसे पैदल चलने वालों को सुरक्षा मिले और साइकिल चलाने की सुविधा हो। संचारी रोगों की रोकथाम का ध्यान रखा-इसमें स्वास्थ्य परिणामों विशेषकर चोट और गैर विशेषकर विकासशील देशों में मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में ,जाएगा। हम दुनिया भर में मौतों और चोटों की बेहिसाब ऊंची और बढ़ती संख्या को देखते हुए मोटरसाइकिल सुरक्षा के बारे में समग्र कानून और नीतियां बनाकर अपनाने के लिए काम करेंगे। हम हर बच्चे के जाने की सुरक्षित और स्वस्थ व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। -लिए स्कूल आने

114. सर्व सुलभ और टिकाऊ शहरी ,किफायती ,आयु और जेंडर के अनुकूल ,हम सुरक्षित आवाजाही एवं भूमि तथा समुद्री परिवहन व्यवस्था सबको सुलभ कराने के लिए काम करेंगे जिससे नगरों और मानव बस्तियों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सबकी सार्थक भागीदारी हो सके। इसके लिए परिवहन और आवाजाही योजनाओं को शहरी और क्षेत्रीय विकास की समग्र योजनाओं में शामिल किया जाएगा और विशेष रूप से विविध परिवहन और आवाजाही विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए हम समर्थन देंगे:

(किफायती और टिकाऊ बुनियादी ,कुशल ,सुरक्षित ,जन परिवहन के लिए सर्व सुलभ (क ,साथ पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसे मोटर रहित विकल्पों को-सुविधाओं के साथ उन्हें निजी मोटर वाहनों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी;

(जिससे विशेषकर गरीबों ,सबके लिए समान रूप से पारगमन आधारित विकास को (ख आवास तथा रोजगार और ,मिश्रित आय ,का विस्थापन कम से कम हो और किफायती सेवाओं के मिश्रण को;

(बेहतर एवं समन्वित परिवहन तथा भू उपयोग नियोजन को जिससे यात्रा और परिवहन (ग अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलमार्गों ,शहरी ,साधनों की आवश्यकता कम होगी सहित संपर्क की सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील देशों एवं तटवर्ती नगरों के लिए परिवहन और आवाजाही की व्यवस्था के नियोजन को;

(शहरी माल ढुलाई नियोजन और व्यवस्था के सिद्धांतों को जिनसे माल और सेवाओं को (घ पर्यावरण तथा शहरों में जीवन पर प्रभाव कम से कम ,कुशलता से सुलभ कराया जा सके हो लेकिन सतत् समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि में उनका योगदान अधिकतम हो।

115. राज्य और स्थानीय स्थलों पर ऐसे तंत्रों और साझे दायरों के विकास के ,हम राष्ट्रीय उपाय करेंगे जिनसे शहरी और महानगरीय परिवहन योजनाओं के व्यापक लाभों का जीवन की ,सामाजिक सामंजस्य ,अर्थव्यवस्था ,आकलन किया जा सके। इनमें पर्यावरण जन स्वास्थ्य पर प्रभाव और अन्य बातों के अलावा ,सड़क सुरक्षा ,गुणवत्ता सर्वसुलभता जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई का आकलन शामिल है।

116. हम शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में परिवहन और आवाजाही सेवाओं के लिए खुली और पारदर्शी खरीद और नियमन के लिए टिकाऊ राष्ट्रीय शहरी परिवहन ,टिकाऊ और आवाजाही नीतियों के आधार पर इन तंत्रों और दायरों के विकास का समर्थन करेंगे। इनमें नई टैक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है जिससे साझी आवाजाही सेवाओं के विकास में मदद मिलती है। हम स्थानीय सरकारों और परिवहन तथा आवाजाही सेवा प्रदान करने वालों के बीच डाटा प्रबंधन सहित स्पष्ट पारदर्शी और जवाबदेह अनुबंध संबंधों के विकास साथ व्यक्तिगत निजता का और संरक्षण होता-का समर्थन करेंगे जिससे जनहित के साथ है। ऐसा पारस्परिक दायित्वों को परिभाषित किया जा सकता है।

117. राज्य और स्थानीय स्तरों पर नियोजन और नीतिगत दायरों की बेहतर ,हम राष्ट्रीय शहरी और क्षेत्रीय नियोजन विभागों के बीच बेहतर तालमेल को समर्थन ,समझ में परिवहन देंगे। इसमें टिकाऊ शहरी और महानगरीय परिवहन और आवाजाही योजनाएं शामिल हैं। हम ऐसी योजनाओं पर अमल करने और इन्हें लागू कराने के लिए आवश्यक जानकारी और क्षमता के विकास में उपराष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों को समर्थन देंगे।

118. राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय साधनों के विकास और विस्तार ,हम राष्ट्रीय ,समन्वित परिवहन प्रणाली ,के लिए प्रोत्साहन देंगे जिससे वे मास रैपिड ट्रांजिट प्रणालियों निरापद पर्याप्त और समुचित पैदल चालन और साइकिल ,वायु और रेल यातायात प्रणाली चालन सुविधाओं एवं परिवहन तथा पारगमन प्रणाली में टैक्नोलॉजी आधारित नए उपायों

बुनियादी सुविधाओं और प्रणालियों में सुधार कर ,जैसे परिवहन और आवाजाही साधनों स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता ,सर्वसुलभता ,संपर्क की सुविधा ,सकें। इससे कुशलता साथ भीड़ और प्रदूषण कम होगा।-में सुधार के साथ

119. शहरी जल ,ठोस कचरा प्रबंधन ,मल व्ययन ,स्वच्छता एवं सफाई ,हम जल वायु प्रदूषण में कमी और बरसाती पानी के प्रबंधन के लिए संरक्षण और सुलभता ,निकासी देने वाले टिकाऊ बुनियादी ढांचे और सेवा व्यवस्था तंत्रों में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देंगे सबको निरापद और ,स्वास्थ्य सुधरे ,जिससे जल संबंधी आपदाओं के दौरान सुरक्षा बढ़े सबके लिए पर्याप्त और बराबर ,किफायती पेयजल समान रूप से सब जगह सुलभ हो स्वच्छता एवं सफाई सुविधा सुलभ हो एवं खुले में शौच बंद हो। महिलाओं और लड़कियों तथा लाचारी में फंसे लोगों की आवश्यकताओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि यह बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन सहने में सक्षम हो तथा समन्वित शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं का अंग बने जिसमें अन्य बातों सर्व सुलभ ,संसाधन कुशल ,नए-के अलावा आवास और आवाजाही शामिल है। इसे नए संदर्भ विशेष के अनुरूप और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समाधानों को ध्यान में रखते हुए सबकी भागीदारी से अपनाया जाए।

120. हम सार्वजनिक जल और स्वच्छता सुविधाओं को टिकाऊ जल प्रबंधन प्रणालियों पर अमल की क्षमता देने के लिए काम करेंगे। इसमें शहरी बुनियादी ढांचा गत सेवाओं का टिकाऊ रखरखाव शामिल है। इसके लिए क्षमताओं का विकास किया जाएगा और उसका सबके लिए निरापद और किफायती पेयजल और ,धीरे असमानताएं मिटाना-लक्ष्य धीरे सबके लिए पर्याप्त स्वच्छता एवं सफाई सुविधाएं सब जगह समान रूप से उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देना होगा।

121. हम किफायती विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सर्व सुलभ कराएंगे। इसके लिए ऊर्जा कुशलता एवं टिकाऊ नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन तथा उन्हें सार्वजनिक बुनियादी ढांचों और सुविधाओं में अपनाने के राज्य और स्थानीय प्रयासों को समर्थन ,भवनों देना तथा जहां कहीं संभव हो बुनियादी सुविधाओं और आचार संहिताओं पर राज्य और वाणिज्यिक ,स्थानीय सरकारों के सीधे नियंत्रण का लाभ लेना शामिल है। इससे आवास

कचरा और स्वच्छता जैसे ऊर्जा उपयोगी क्षेत्रों में ,परिवहन ,उद्योग ,और औद्योगिक भवनों ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। हम भवन की कुशलता की संहिताओं और मानकों को अपनाए मौजूदा भवनों में सुधार ,ऊर्जा कुशल लेबलिंग ,नवीकरणीय पोर्टफोलियो लक्ष्यों ,जाने और ऊर्जा के बारे में सार्वजनिक खरीद नीतियों को भी यथोचित प्रोत्साहन देंगे जिससे ऊर्जा जिला ऊर्जा प्रणालियों और समुदाय ,कुशल लक्ष्य हासिल किए जा सकें। हम स्मार्ट ग्रिड आधारित ऊर्जा योजनाओं को भी प्राथमिकता देंगे जिससे नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशलता के बीच तालमेल बढ़ सके।

122. हम कचरा निपटान के बारे में विकेन्द्रित रूप से निर्णय लिए जाने को समर्थन देंगे जिससे सतत् कचरा प्रबंधन प्रणालियां सर्व सुलभ हो सकें। हम विस्तारित उत्पादक दायित्व योजनाओं के प्रोत्साहन को समर्थन देंगे जिसमें शहरी कचरा प्रबंधन प्रणालियों के लिए धन कचरे के खतरों और ,की व्यवस्था में कचरा पैदा करने वालों को शामिल किया जाएगा आर्थिक प्रभावों को कम किया जाएगा तथा बेहतर उत्पाद डिजाइन के जरिए-सामाजिक रिसाइकिलिंग की दर बढ़ाई जाएगी।

123. विशेषकर शहरी गरीबों की ,हम शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में शहरी निवासियों खाद्य सुरक्षा व पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समाहित करने को प्रोत्साहन देंगे ताकि अर्द्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों ,भूख और कुपोषण को समाप्त किया जा सके। हम शहरी में टिकाऊ खाद्य सुरक्षा एवं कृषि नीतियों में तालमेल को प्रोत्साहन देंगे जिससे अनाज के परिवहन और उपभोक्ता तक विपणन ऐसे पर्याप्त और किफायती ढंग से ,भंडारण ,उत्पादन आहार की बर्बादी रुके और उसे दोबारा इस्तेमाल न ,हो सके कि आहार की क्षति कम हो परिवहन और कचरा ,स्वास्थ्य ,जल ,किया जा सके। हम खाद्य नीतियों का तालमेल ऊर्जा हानिकारक ,बीजों की आनुवांशिक विविधता की रक्षा करने ,प्रबंधन की नीतियों से कराने रसायनों का उपयोग कम करने और अधिकतम कुशलता एवं न्यूनतम कचरे के लिए शहरी क्षेत्रों में अन्य नीतियों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देंगे।

124. हम नीतिगत उपाय अपनाते समय संस्कृति को शहरी नियोजन और रणनीतियों का भवन ,निर्देश-वार दिशा-जोन ,प्रमुख अंग बनाने के लिए काम करेंगे। इसमें मास्टर प्लान तटीय प्रबंधन नीतियां और महत्वपूर्ण विकास नीतियां शामिल हैं जिनसे विविध ,संहिता

प्रकार की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और स्थलों को सुरक्षा मिलेगी और उन्हें शहरी विकास के संभावित हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सकेगा।

125. हम सतत् शहरी विकास के लिए सांस्कृतिक धरोहर का लाभ उठाने तथा भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ाने में उसकी भूमिका को मान्यता देने का समर्थन करेंगे। हम वास्तु कला नए तरीके से और टिकाऊ उपयोग को प्रोत्साहन देंगे-से संबंधित स्मारकों और स्थलों के नए जिससे मूल्य रचना होगी। इसके लिए सम्मानपूर्वक जीर्णोद्धार किया जाएगा और उन्हें ,अपनाया जाएगा। हम अमूर्त एवं मूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी का प्रसार करने पारंपरिक अभिव्यक्तियों एवं भाषाओं का संरक्षण करने में मूल निवासियों और स्थानीय नई प्रौद्योगिकी और तकनीक दोनों का इस्तेमाल शामिल-समुदायों को जोड़ेंगे। इसमें नई है।

क्रियान्वयन के साधन

126. हम मानते हैं कि नए शहरी ऐजेंडा को लागू करने के लिए एक सामर्थ्यकारी माहौल प्रौद्योगिकी तथा ,और विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध होना आवश्यक है। इनमें विज्ञान प्रदान बढ़ाना-परस्पर सहमति के आधार पर जानकारी का आदान ,नई सोच की सुलभता और क्षमता विकास तथा वित्तीय संसाधन जुटाना शामिल है। ऐसा करते समय विकसित ,राष्ट्रीय ,क्षेत्रीय ,और विकासशील देशों के निष्ठा का ध्यान रखना होगा और वैश्विक राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी उपलब्ध पारंपरिक और नवीन साधनों का प्रयोग करना संयुक्त राष्ट्र तंत्र ,प्रबुद्ध समाज ,निजी क्षेत्र ,होगा। इसके अलावा सरकार के सभी स्तरों और अन्य पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं भागीदारी बढ़ानी होगी। यह भागीदारी जवाबदेही एवं सबसे गरीब और सबसे लाचार लोगों सहित सबके ,भेदभाव मुक्ति ,बराबरी मानव अधिकारों और एकजुटता के सम्मान पर आधारित होगी।

127. हम सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा और अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा में निहत क्रियान्वयन के उपायों के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हैं।

128. संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यक्रमों और एजेंसियों तथा संबद्ध अन्य ,हम यूएन हैबीटेट पक्षों को नए शहरी एजेंडा और सतत् विकास लक्ष्यों के शहरी आयामों को लागू करने के

Tel Aviv, Israel - Boris-B ©

,निर्देश तैयार करने के लिए सदस्य देशों-लिए प्रमाण आधारित और व्यावहारिक दिशा प्रमुख समूहों और अन्य संबद्ध पक्षों के निकट सहयोग और विशेषज्ञों ,स्थानीय अधिकारियों को एकजुट करने से प्रोत्साहित करेंगे। हम हैबीटेट III सम्मेलन की विरासत और उसकी तैयारी की प्रक्रिया एवं क्षेत्रीय तथा विषय संबंधी बैठकों से सीखे गए सबक के आधार पर जनरल असेंबली ऑफ पार्टनर्स फॉर ,काम करेंगे। इस संदर्भ में हम वर्ल्ड अर्बन कैम्पेन हैबीटेट III व ग्लोबल लैंड टूल नेटवर्क के अमूल्य योगदान का भी संज्ञान लेते हैं।

129. हम यूएन हैबीटेट से आग्रह करते हैं कि वह नियमों की जानकारी विकसित करने तथा नियोजन और प्रबंधन में राष्ट्रीय राज्य और स्थानीय ,सतत् शहरी विकास के डिजाइन सरकारों को क्षमता विकास एवं साधन प्रदान करने का अपना काम जारी रखे।

130. ,हम मानते हैं कि मौजूदा शहरी नीतियों और रणनीतियों के निर्देशन में जैसा संभव हो सतत् शहरी विकास को वित्त व्यवस्था के समन्वित ढांचों से लाभ मिल सकता है जिन्हें सभी स्तरों पर सामर्थ्यकारी माहौल का समर्थन हो। हम यह सुनिश्चित करने का महत्व स्वीकार करते हैं कि क्रिया न्वयन के सभी वित्तीय साधन जहां कहीं उपलब्ध हों समन्वित नीतिगत ढांचों और वित्तीय विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाओं में पूरी तरह निहित हैं तथा पर्याप्त क्षमताएं सभी स्तरों पर विकसित की जाएं।

131. हम सरकार के सभी स्तरों पर वित्तीय प्रबंधन क्षमताएं बढ़ाने और शहरीकरण के लिए धन जुटाने की संदर्भ संवेदी नीतियों का समर्थन करते हैं। सतत् शहरी विकास हासिल करने साथ यह मान्यता भी-के लिए आवश्यक विशेष साधनों और तंत्रों को अपनाए जाने के साथ है कि हर देश की अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी है।

132. हम शहरीकरण के लाभों का फायदा उठाते हुए तथा सार्वजनिक एवं निजी निवेश के अधिकतम प्रभाव और उत्प्रेरक प्रभावों के जरिए उपयोग स्थल पर ही संसाधनों और राजस्व को जुटाएंगे ताकि शहरी विकास के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके और अतिरिक्त साधन खुलकर सुलभ हों। हम यह मानेंगे कि सभी देशों में राष्ट्रीय स्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर सार्वजनिक नीतियां एवं घरेलू संसाधनों को जुटाना तथा उनका कारगर उपयोग

करना नए शहरी एजेंडा पर अमल सहित सतत् शहरी विकास के हमारे साझे प्रयासों का मूल तत्व है।

133. हम कारोबारियों से आग्रह करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में सतत् विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी रचनात्मकता और नई सोच का उपयोग करें क्योंकि हम समावेशी वृद्धि ,निवेश और नए उपाय उत्पादकता ,मानते हैं कि निजी कारोबारी गतिविधि विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी ,एवं रोजगार सृजन के मुख्य संचालक हैं और निजी निवेश स्थिर आर्थिक वित्तीय तंत्र के साथ मिलकर विकास प्रयासों के आवश्यक अंग हैं। ,निवेश

134. हम ऐसी उपयुक्त नीतियों और क्षमताओं को समर्थन देंगे जो राज्य और स्थानीय स्थानीय करों और सेवा शुल्कों तथा फीस आदि के ,सरकारों को बहुउद्देश्यीय भू राजस्व जरिए अपना संभावित राजस्व आधार राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप दर्ज और विस्तारित करने की क्षमता देती हैं। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं और मूल निवासियों और स्थानीय ,विकलांगजनों ,वृद्धजनों ,बच्चों और युवाओं ,लड़कियों समुदायों तथा गरीब परिवारों पर बहुत अधिक असर न पड़े।

135. ,प्राथमिकताओं ,हम राज्य और स्थानी य सरकारों की आवश्यकाताओं गतिविधियों एवं प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय ,क्रियाकलापों सरकारों से वित्तीय सहायता देने के लिए ठोस और पारदर्शी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देंगे सामयिक और निश्चित संसाधन मिल सकें एवं राजस्व जुटाने तथा खर्च ,ताकि उन्हें पर्याप्त प्रबंधन की उनकी क्षमता बढ़ सके।

136. शहरी क्षेत्रों के भीतर एवं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में ,हम सभी राज्य क्षेत्रों में विकास के लंबवत एवं क्षैतिज मॉडलों को समर्थन देंगे तथा समन्वित एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देंगे। इस संदर्भ में हम समानता और स्थानिक समन्वय की दिशा में प्रगति का आकलन करने के साधन के रूप में व्यय और संसाधन आवंटन के आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ाने के महत्व पर जोर देंगे।

137. बुनिया दी ढांचागत परियोजनाओं और सार्वजनिक ,हम शहरी विकास प्रक्रियाओं निवेश के परिणामास्वरूप भूमि और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का पता लगाने और उसे सबको

बताने के सर्वोत्तम तरीकों को प्रोत्साहन देंगे। जहां कहीं उपयुक्त लाभ से संबद्ध वित्तीय नीतियों जैसे उपाय अपनाकर उसे पूरी तरह निजी हाथों में जाने से रोका जा सकेगा तथा जायदाद की सट्टेबाजी पर अंकुश लगेगा। हम वित्तीय तंत्रों और शहरी-भूमि और जमीन नियोजन तथा भूमि बाजार नियमन सहित शहरी प्रबंधन साधनों के बीच संपर्क को मजबूत करेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि जमीन के जरिए धन जुटाने के टिकाऊ उपयोग नहीं हो और खपत भी न बढ़े।-प्रयासों से जमीन का गैर

138. हम राज्य और स्थानीय सरकारों को विधायी नियंत्रण और जन भागीदारी के आधार पर स्थानीय निवेश और परियोजनाओं की आवश्यकता एवं प्रभाव के आकलन के लिए पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यय नियंत्रण उपाय अपनाने के प्रयासों में समर्थन देंगे। खुली और साथ-खरीद तंत्र और बजट के विश्वसनीय पालन के साथ ,निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया -कारगार प्रबंधन के साथ ,जवाबदेही ,भ्रष्टाचार रोकने के निवारक उपायों से ईमानदारी साथ सार्वजनिक संपत्ति और भूमि की सुलभता को प्रोत्साहन मिलेगा। यह काम राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप होगा।

139. हम टिकाऊ ऋण प्रबंधन के आधार पर सतत् राष्ट्रीय और नगरपालिका स्तरीय ऋण के लिए मजबूत कानूनी और नियमन तंत्रों की रचना को समर्थन देंगे जो पर्याप्त राजस्व और साथ यथायोग्य-क्षमताओं के सहारे खड़े होंगे। इसके लिए स्थानीय ऋण पात्रता के साथ टिकाऊ नगरपालिका स्तरीय ऋण बाजारों का विस्तार किया जाएगा। हम शहरी वित्तीय राज्य और स्थानीय विकास निधियों अथवा विकास बैंकों ,राष्ट्रीय ,प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय जैसे उपयुक्त वित्तीय साधन स्थापित करने पर विचार करेंगे जिसमें साझे वित्तीय तंत्र शामिल होंगे जो निजी एवं सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम मुद्रा जोखिम को संभालने के लिए बहुक्षेत्रीय निवेशी गारंटी एजेंसी जैसे जोखिम कम करने वाले तंत्रों के प्रोत्साहन के लिए काम कर सकते हैं जिससे पूंजी की लागत कम होगी और निजी क्षेत्र एवं परिवारों को शहरी विकास तथा सहन शक्ति विकसित करने के प्रयासों में भागीदारी की प्रेरणा मिलेगी। इसमें जोखिम ट्रांसफर तंत्र सुलभ कराना शामिल है।

140. हम उपयुक्त एवं किफायती आवास वित्त उपाय विकसित करने को समर्थन देंगे तथा क्षेत्रीय विकास बैंकों एवं विकास वित्त ,विविध प्रकार की बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं ,सहकारी समितियों ,निजी कर्ज देने वालों और निवेशकों ,सहकारी एजेंसियों ,संस्थाओं महाजनों और सूक्ष्म वित्त बैंकों को सभी प्रकार की किफायती और निरन्तर बढ़ती आवास सुविधाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

141. हम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी एवं क्षेत्रीय परिवहन बुनियादी ढांचा और सेवा निधि की साथ सार्वजनिक और निजी-स्थापना पर भी विचार करेंगे जिसमें सरकारी अनुदान के साथ साथ हस्तक्षेप और परस्पर-क्षेत्र के योगदान से धन जुटाया जाएगा और जवाबदेही के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा।

142. विकास वित्त ,क्षेत्रीय विकास बैंकों ,हम बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं नए वित्तीय तंत्रों के जरिए-संस्थाओं और सहकारी एजेंसियों को आमंत्रित करते हैं कि वे नए विशेषकर विकासशील देशों में नए शहरी एजेंडा को लागू करने के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन दें।

143. एडेप्टेशन फंड और ,ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसेलिटी ,हम ग्रीन क्लाइमेट फंड क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसी विभिन्न बहुपक्षीय निधियों तक पहुंच का समर्थन करते हैं ,जिससे जलवायु परिवर्तन अनुकूल ढलने और उसका असर कम करने की योजनाओं नीतियों और कार्यक्रमों के लिए तथा राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्रवाई के लिए सहमत प्रक्रियाओं के दायरे के भीतर संसाधन मिल सकें। हम राज्य और स्थानीय वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करेंगे जिससे जलवायु वित्त बुनियादी ढांचागत समाधान विकसित हो सकें और सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय एवं ऋण टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय तंत्र के दायरे में मौजूद उत्प्रेरक वित्तीय संसाधनों की पहचान के उपयुक्त तंत्र स्थापित हो सकें।

144. हम नगरों और मानव बस्तियों में जलवायु और आपदा जोखिमों के व्यावहारिक समाधानों का पता लगाएंगे और विकास करेंगे। इसके लिए शहरी और महानगरीय पुर्नबीमा ,भवनों और अन्य शहरी परिसंपत्तियों में निवेश के लिए बीमा ,बुनियादी ढांचों

संस्थाओं और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ तथा स्थानीय जनसंख्या के साथ सहयोग किया जाएगा जिससे उनकी आवासीय और आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें।

145. हम आधिकारिक विकास सहायता सहित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय सहायता के उपयोग का समर्थन करते हैं जिससे निजी और सार्वजनिक सभी उपलब्ध साधनों से टिकाऊ शहरी एवं क्षेत्रीय विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सके। इसमें संभावित निवेशकों के लिए जोखिम कम करना शामिल हो सकता है। हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषकर सीमित घरेलू संसाधनों वाले सबसे गरीब और ,सार्वजनिक वित्तीय सहायता की सबसे लाचार देशों में सार्वजनिक संसाधन देश के भीतर जुटाने के प्रयासों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

146. प्रदान-शहरी समाधानों के आदान ,क्षमताओं के विकास ,हम सतत् शहरी विकास को प्रोत्साहन तथा सभी स्तरों पर और सभी संबद्ध पक्षों द्वारा परस्पर सीखने में मदद के विकासशील और विकासशील तथा त्रिकोणीय क्षेत्रीय ,लिए विकसित और विकासशील एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर बढ़ाएंगे।

147. हम बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में क्षमता विकास को प्रोत्साहन देंगे जिससे प्रशासन के सभी स्तरों पर संस्थाओं एवं विविध पक्षों की क्षमता बढ़ेगी और सतत् शहरी निगरानी और ,प्रबंध करने ,बढ़ाने ,अपनाने ,विकास के लिए सार्वजनिक नीतियां बनाने सामाजिक और संस्थागत क्षमता में तालमेल हो सके। ,आकलन करने की व्यक्तिगत

148. राज्य और स्थानीय सरकार की इस ,हम स्थानीय प्रशासन संघों सहित राष्ट्रीय बच्चों और ,क्षमता को मजबूत करने के उपाय करेंगे कि वह लड़कियों और महिलाओं मूल निवासियों तथा स्थानीय समुदायों और लाचार ,वृद्ध और विकलांगजनों ,युवाओं विद्वानों और शोध संस्थाओं के ,साथ प्रबुद्ध समाज-परिस्थितियों में रहने वालों के साथ साथ मिलकर संगठनात्मक और संस्थागत प्रशासनिक प्रक्रियाएं तय कर सकें। इस तरह उन्हें शहरी और क्षेत्रीय विकास के निर्णय लेने में कारगर भागीदारी मिल सकेगी।

149. हम स्थानीय प्रशासन संघों को क्षमता विकास के प्रोत्साहक और प्रदाता दोनों के रूप में यथोचित समर्थन देंगे। शहरी नीतियों और विकास प्राथमिकताओं पर राष्ट्रीय परामर्शों में

पेशेवर ,निजी क्षेत्र ,प्रबुद्ध समाज ,उनकी भागीदारी तथा राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों विद्ववत और शोध संस्थानों और उनके मौजूदा नेटवर्कों के साथ क्षमता विकास ,लोगों कार्यक्रम प्रदान करने में उनके सहयोग को मान्यता देंगे तथा मजबूती प्रदान करेंगे। इसके साथ-विषय संबद्ध भागीदारी और साझी कार्रवाई के साथ ,लिए सहयोगियों के बीच सीखने राज्य और स्थानीय स्तर पर नगरपालिकाओं के बीच सहयोग ,राष्ट्रीय ,क्षेत्रीय ,वैश्विक अपनाया जाना चाहिए। इसमें कार्यक्रम अपनाने वालों के नेटवर्क तथा विज्ञान और नीति के बीच संपर्क के उपाय अपनाना शामिल है।

150. प्रौद्योगिकी और नए उपायों के बारे ,हम सतत् शहरी विकास के लाभ के लिए विज्ञान में सहयोग एवं ज्ञान संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह काम अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के अंतर्गत स्थापित और सतत् विकास के लिए 2030 का एजेंडा के अंतर्गत ,अपनाए गए टैक्नोलॉ जी फैसेलिटी मैक्निज्म की प्रक्रियाओं के साथ पूरे तालमेल सामंजस्य और एकजुटता से किया जाएगा।

151. हम वित्तीय नियोजन और प्रबंधन में राज्य और स्थानीय सरकारों की सहायता के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए सभी स्तरों पर संस्थाओं के ,भीतर तालमेल किया जाएगा जिसमें पर्यावरण संवेदना और भ्रष्टाचाररोधी उपाय अपनाना परीक्षा और-लेखा ,रिपोर्टिंग ,खरीद ,खाते रखना ,पारदर्शी और स्वतंत्र निगरानी करना निगरानी प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है तथा राज्य और राष्ट्रीय प्रदर्शन तथा अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। आयु और जैंडर अनुकूल बजट निर्धारण एवं खाता प्रक्रिया ओं और रिकॉर्ड में सुधार तथा उसे डिजिटल रूप में रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे परिणाम आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा मिलेगा एवं मध्यम से दीर्घकालिक प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमता विकसित होगी।

152. जायदाद के बाजार-हम कानून भू आधारित राजस्व और वित्तीय साधनों तथा जमीन निर्माताओं और स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों के लिए-के संचालन के बारे में नीति क्षमता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे। इनमें जमीन के मूल्य में वृद्धि मात्रा का उसे दर्ज करना और उसके वितरण सहित मूल्य निर्धारण के लिए कानूनी और ,निर्धारण आर्थिक बुनियादों पर ध्यान दिया जाएगा।

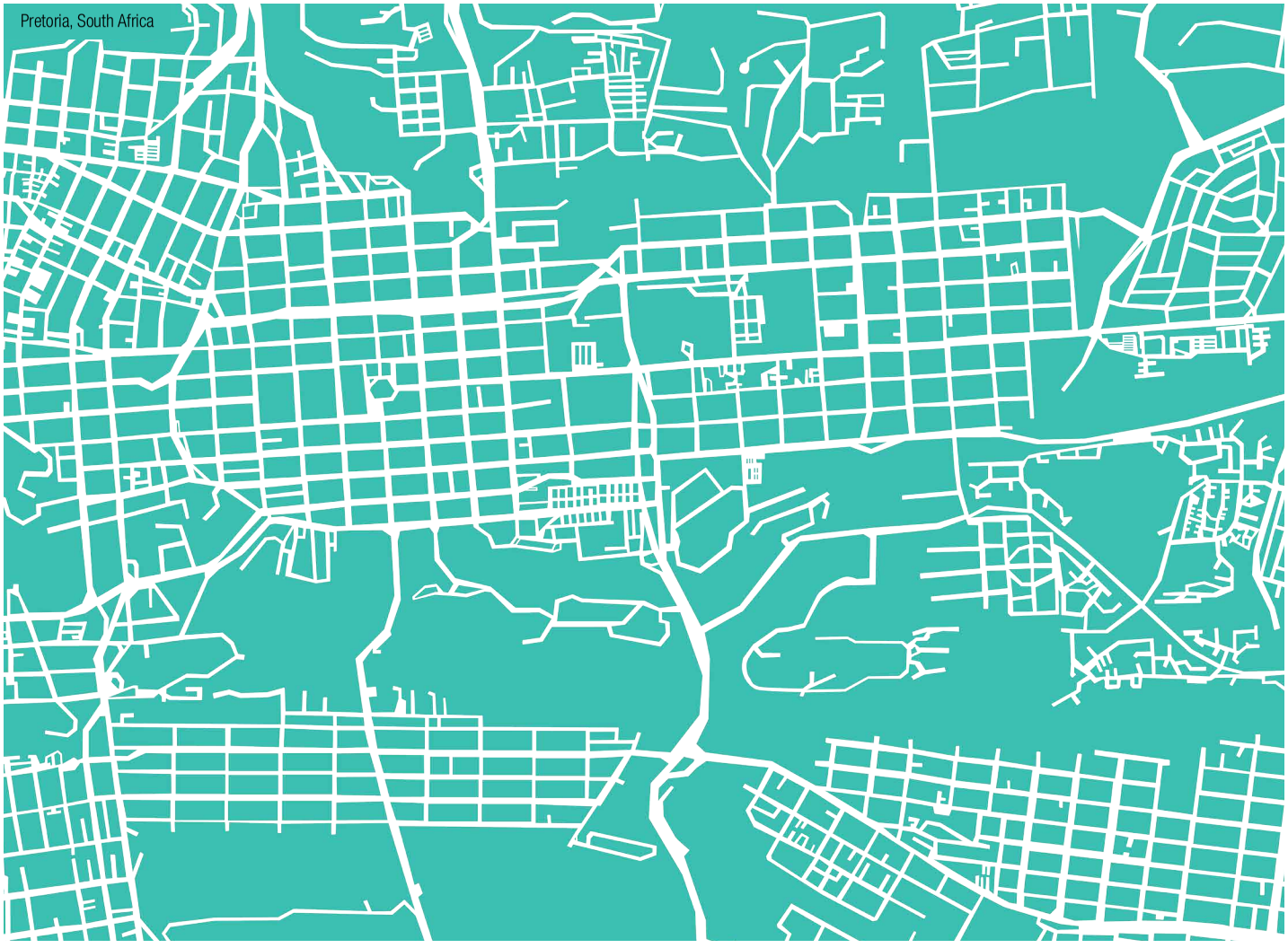
Pretoria, South Africa

153. हम शहरी विकास प्रक्रिया में जहां तक संभव हो बहुपक्षीय भागीदारी के व्यवस्थित वित्तीय और ,उपयोग को प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां निर्देश-साथ बहुपक्षीय भागीदारी के नियोजन दिशा-प्रशासनिक तंत्र एवं प्रक्रियाओं के साथ स्थापित किए जाएंगे।

154. हम नए शहरी एजेंडा का क्रियान्वयन शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की योजना भागीदारियों और गठजोड़ों के महत्वपूर्ण योगदान ,रखने वाले स्वैच्छिक सामूहिक प्रयासों स्थानीय सरकारों और अन्य संबद्ध पक्षों के बीच ,को स्वीकार करते हैं। इसमें राज्य तंत्रों सहउत्पादक नेटवर्क को प्रोत्साहन सहित सर्वोत्तम विधियां और नवीन समाधान उजागर होंगे।

155. मूल ,वृद्ध और विकलांगजनों ,युवाओं और बच्चों ,हम महिलाओं और लड़कियों साथ लाचार परिस्थि तियों में फंसे लोगों के-निवासियों और स्थानीय समुदायों के साथ कौशल और क्षमता ओं को बढ़ाने और पुष्ट करने के लिए क्षमता विकास प्रयासों को मानव अधिकारों को ,संवाद होगा ,प्रोत्साहन देंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं आकार लेंगी भेदभाव का विरोध होगा और शहरी तथा क्षेत्रीय विकास के निर्णयों में ,प्रोत्साहन मिलेगा उनकी कारगर भागीदारी होगी।

156. नागरिक ,प्रशासन रणनीतियों-ई ,हम राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीतियों केन्द्रित डिजिटल प्रशासन साधनों को बढ़ावा देंगे। इनमें क्षमता विकास कार्यक्रम शामिल ,बच्चों और युवाओं ,हैं। इस तरह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी महिलाओं और लड़कियों विकलांग और वृद्धजनों तथा लाचार परिस्थितियों में जीते व्यक्तियों सहित आम जनता को भागीदारी के ,सुलभ हो सकेगी। इससे वे नागरिक जिम्मेदारी के विकास और निवर्हन जिम्मेदार प्रशासन तथा कार्य कुशलता में वृद्धि में समर्थ हो सकेंगे। भू स्थानिक ,विस्तार सूचना प्रणालि यों सहित डिजिटल मंचों और साधनों के इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा ताकि भू प्रशासन और प्रबंधन ,दीर्घकालिक समन्वित शहरी और क्षेत्रीय नियोजन एवं डिजाइन तथा शहरी और महानगरीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके।

157. अनुसंधान और नए प्रयोगों को समर्थन देंगे जिसमें शहरी तथा क्षेत्रीय ,हम विज्ञान प्रदान के लिए-निर्धारण तथा सूचना ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-नियोजन एवं नीति डिजिटल और प्रकृति आधारित नई खोजों और ,प्रौद्योगिक ,संस्थागत तंत्रों में सामाजिक ,आयु ,लिंग ,मजबूत विज्ञान नीति संपर्कों पर ध्यान देना शामिल है। इसके लिए आय राज्य तथा ,भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय ,विकलांगता ,प्रवासन दर्जे ,जाति ,नस्ल ,स्थानीय संदर्भों में प्रसांगिक अन्य विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत भूगोल आधारित ,समयानुकूल और विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन विश्लेषण ,उत्तम ,समुदाय संग्रहित मानकीकरण और प्रसार किया जाएगा।

158. राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर आंकड़े और सांख्यिकी जुटाने की ,हम राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करेंगे जिससे सतत् शहरी विकास नीतियों और रणनीतियों पर अमल निर्णय लेने वालों को जानकारी दी जा सके और ,में हुई प्रगति की कारगर निगरानी हो सके आगे की कार्रवाई और समीक्षा ,उपयुक्त समीक्षा की जा सके। नए शहरी एजेंडा पर अमल राज्य और स्थानीय ,के लिए आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया मूल रूप से आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा स्रोतों और उपयुक्तता के अनुसार अन्य स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। यह पारदर्शी और निजता के अधिकारों तथा सभी मानव अधिकार दायित्वों ,प्रक्रियाएं खुली और संकल्पों के सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर नगरों और मानव बस्तियों की जन केन्द्रित परिभाषा की दिशा में प्रगति से इस काम को समर्थन मिल सकता है।

159. विश्लेषण और प्रसार में तथा प्रमाण आधारित ,मानचित्रण ,हम आंकड़ों के संकलन वैश्विक स्तर पर तुलनीय और स्थानीय रूप से जुटाए गए ,प्रशासन को प्रोत्साहन में राज्य और ,आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए साझे ज्ञान आधार के निर्माण में राष्ट्रीय ,स्थानीय सरकारों की भूमिका और बढ़ी हुई क्षमता को समर्थन देंगे। यह आंकड़े जनगणना समुदाय आधारित निगरानी प्रक्रियाओं और अन्य ,जनसंख्या रजिस्टर ,परिवार सर्वेक्षण ,प्रवासन स्थिति ,जाति ,नस्ल ,आयु ,लिंग ,संबद्ध साधनों से जुटाकर इन्हें आय राज्य और स्थानीय संदर्भों में उपयुक्त अन्य ,भौगोलिक स्थिति तथा राष्ट्रीय ,विकलांगता विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं।

Quito, Ecuador - Ecuadorpostales ©

160. राज्य और स्थानीय सरकारों एवं ,सरकारी पक्षों और जनता सहित राष्ट्रीय-हम गैर प्रदान के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिक और-संबद्ध पक्षों के बीच जानकारी सौंपने और आदान उपयोगकर्ता के अनुकूल और ,सामाजिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए खुले -संवर्धन और उन्नयन को बढ़ावा देंगे। इससे ई ,भागीदारीपूर्ण आंकड़ा मंचों के रचना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं भू स्थानिक सूचना प्रबंधन तंत्र की सहायता से ,प्रशासन संचालित नीतियों के जरिए कारगर शहरी नियोजन और प्रबंधन कुशलता तथा पारदर्शिता बढ़ेगी।

आगे की कार्रवाई और समीक्षा

161. समय पर निर्धारण और-हम नए शहरी एजेंडा पर आगे की कार्रवाई का समय क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर सामंजस्य रहे। इसके ,समीक्षा करते रहेंगे जिससे राष्ट्रीय उसकी प्रगति और प्रभाव का ,ढंग से लागू करने समयोचित जरिए एजेंडा को कारगर और आकलन करने तथा नागरिकों के लिए जवाबदेही एवं समावेशी ढंग से पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

162. ,बहुस्तरीय ,समावेशी ,देश के नेतृत्व में खुले ,हम नए शहरी एजेंडा के स्वैच्छिक भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी आगे की कार्रवाई और समीक्षा को प्रोत्साहन देंगे। इस प्रक्रिया राज्य और स्थानीय सरकारों के योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए और ,में राष्ट्रीय प्रमुख समूहों एवं संबद्ध पक्षों का ,क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय संगठनों ,संयुक्त राष्ट्र तंत्र योगदान दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया निरन्तर होनी चाहिए जिसका उद्देश्य सभी प्रासंगिक पक्षों के बीच भागीदारी जुटाना और उसे मजबूत करना तथा शहरी समाधानों और प्रदान होना चाहिए।-परस्पर मिले सबक का आदान

163. हम सभी स्तरों पर नए शहरी एजेंडा पर आगे की कार्रवाई और उसकी समीक्षा में सक्रिय भागीदार के रूप में स्थानीय सरकारों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यथोचित रूप से स्थानीय स्तर पर लागू करने लायक आगे की कार्रवाई और समीक्षा तंत्र विकसित करने को प्रोत्साहन देते हैं। इसके लिए प्रासंगिक संघ और उपयुक्त प्लेटफॉर्म का सहारा भी लिया जा सकता है। जहां कहीं

उपयुक्त होगा हम इस संदर्भ में योगदान करने की उनकी क्षमता मजबूत करने पर विचार करेंगे।

164. हम इस बात पर जोर देते हैं कि नए शहरी एजेंडा पर आगे की कार्रवाई और समीक्षा का सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा पर आगे की कार्रवाई और समीक्षा से कारगर संपर्क होना चाहिए ताकि उन्हें लागू करने में समन्वय और सामंजस्य हो सके।

165. हम संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अन्य अंगों के सहयोग से सतत् शहरीकरण और मानव बस्तियों के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य क्षेत्र के भीतर यूएन हैबीटेट की भूमिका और विशेषता दोहराते हैं। हम मानते हैं कि सतत् शहरीकरण और सतत् विकास आपदा जोखिम में कमी एवं जलवायु परिवर्तन के बीच सीधा संबंध है।

166. हम महासभा को आमंत्रित करते हैं कि वह महासचिव से अनुरोध करे कि वे देशों और प्रासंगिक क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिली स्वैच्छिक जानकारी के आधार पर हर चार वर्ष में नए शहरी एजेंडा पर अमल की प्रगति के बारे में रिपोर्ट दें। इस तरह की पहली रिपोर्ट महासभा के 72वें सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाए।

167. इस रिपोर्ट से नए शहरी एजेंडा पर अमल में हुई प्रगति के मात्रा और गुणवत्ता संबंधी साथ सतत् शहरीकरण और मानव बस्तियों के प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय-विश्लेषण के साथ स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी मिलेगी। यह विश्लेषण नए शहरी एजेंडा संयुक्त राष्ट्र ,यूएन हैबीटेट ,राज्य और स्थानीय सरकारों ,पर अमल के समर्थन में राष्ट्रीय तंत्र के अन्य संबद्ध एजेंसियों और संबद्ध पक्षों की गतिविधियों एवं यूएन हैबीटेट प्रशासनिक परिषद की रिपोर्टों पर आधारित होगा। इसकी रिपोर्ट में जहां तक संभव हो सके बहुपक्षीय निजी क्षेत्र और विद्ववत समाज से मिली जानकारी ,प्रबुद्ध समाज ,संगठनों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसे यूएन हैबीटेट द्वारा संयोजित वर्ल्ड ओपन फोरम जैसे मौजूदा मंचों और प्रक्रियाओं पर खड़ा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में दोहराव नहीं होना ,क्षमताओं ,कानूनों ,राज्य एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों ,चाहिए और उसे स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

168. रिपोर्ट की तैयारी में तालमेल यूएन हैबीटेट करेगा। संयुक्त राष्ट्र तंत्र की अन्य एजेंसियां इसमें तालमेल करेंगी जिससे सुनिश्चित होगा कि समूचे संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए के [18]समावेशी समन्वय प्रक्रिया अपनाई जाए। यह रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद जरिए महासभा में प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट महासभा के तत्वावधान में आयोजित उच्च स्तरीय सतत् विकास राजनीतिक फोरम में भी रखी जाएगी जिससे सतत् विकास के लिए 2030 तालमेल और सहयोग ,एजेंडा पर आगे की कार्रवाई और समीक्षा के साथ सामंजस्य के संपर्क सुनिश्चित हो सकें।

169. हिमायत और जन जागरुकता ,हम नए शहरी एजेंडा पर अमल के बारे में भागीदारी गतिविधियों के जरिए एकजुटता प्रयासों को मजबूत करते रहेंगे। इसके लिए वर्ल्ड हैबीटेट ,डे और वर्ल्ड सिटीज़ डे जैसे मौजूदा प्रयासों का सहारा लिया जाएगा और प्रबुद्ध समाज नागरिकों एवं संबद्ध पक्षों से समर्थन जुटाने के लिए नए उपाय अपनाने पर विचार किया जाएगा। हम नए शहरी एजेंडा पर आगे की कार्रवाई और समीक्षा के लिए स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों की विश्व सभा में उपस्थित राज्य और स्थानीय सरकारी संघों से संपर्क रखने का महत्व समझते हैं।

170. हम महासभा के संकल्प 51/177, 16 दिसम्बर, 1996; 56/206, 21 दिसम्बर, 2001; 68/239 एवं 69/226 साथ-के साथ 31/109, 16 दिसम्बर, 1976 एवं 32/162, 19 दिसम्बर, 1977 सहित महासभा के अन्य संबद्ध संकल्पों को दोहराते हैं। हम यूएन हैबीटेट का मुख्यालय नैरोबी में होने का महत्व दोहराते हैं।

171. हम यूएन हैबीटेट के महत्व को उजागर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तंत्र में उसकी भूमिका सतत् शहरीकरण और मानव बस्तियों के बारे में केन्द्र बिन्दु की है। उसे संयुक्त राष्ट्र तंत्र की आगे की कार्रवाई और ,अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर नए शहरी एजेंडा पर अमल समीक्षा में भी ध्यान देना है।

---

[18] इस रिपोर्ट का उद्देश्य हैबीटेट एजेंडा के समन्वित क्रियावन्यन के बारे में आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासचिव की रिपोर्ट की जगह लेना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि महासभा ने संबद्ध एजेंडा विषय के उसके अतिरिक्त न ,अंतर्गत अपने संकल्प में महासचिव से जिस रिपोर्ट का अनुरोध किया है उसका अंग बने हो।

172. नए शहरी एजेंडा के महत्व और यूएन हैबीटेट की प्रभावशीलता बढ़ाने की दृष्टि से हम महासचिव से अनुरोध करते हैं कि वे यूएन हैबीटेट के बारे में परिणाम आधारित एवं स्वतंत्र आकलन की रिपोर्ट महासभा के 71वें सत्र के दौरान प्रस्तुत करें। आकलन का परिणाम एक जवाबदेही और निगरानी ,कुशलता ,रिपोर्ट में होगा जिसमें यूएन हैबीटेट की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सिफारिशें की जाएंगी। इस संदर्भ में उसे निम्नलिखित का विश्लेषण करना चाहिए:

(यूएन हैबीटेट का नियम एवं संचालन संबंधी अधिकार क्षेत्र (क;

(संचालन परिषद की सदस्यता के सार्वभौमीकरण सहित विकल्पों पर विचार करते हुए (ख अधिक असरदार जवाबदे ह एवं पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया के लिए यूएन हैबीटेट का प्रशासनिक ढांचा;

(राज्य और ,भागीदारि यों की पूर्ण संभावनाओं का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय (ग स्थानीय सरकारों तथा संबद्ध पक्षों के साथ यूएन हैबीटेट का काम;

(यूएन हैबीटेट की वित्तीय क्षमता। (घ

173. हमने निर्णय लिया है कि महासभा के 71वें सत्र के दौरान उसके अध्यक्ष दो दिन की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएं जिसमें नए शहरी एजेंडा के असरदार अमल एवं इस संदर्भ में यूएन हैबीटेट की स्थिति पर चर्चा हो। इस बैठक में अन्य बातों के अलावा रिपोर्ट में शामिल सफलता कथाओं और उपायों पर चर्चा होगी। बैठक के बारे में अध्यक्ष ,सर्वोत्तम विधियों की सारांश रिपोर्ट 72वें सत्र के दौरान दूसरी समिति के लिए उपयोगी जानकारी देगी जिससे वह संबद्ध एजेंडा विषय के अंतर्गत वार्षिक संकल्प में निहित स्वतंत्र आकलन में दी गई सिफारिशों के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार कर सकेगी।

174. हम महासभा को प्रोत्साहित करते हैं कि वह 2036 में आवास और सतत शहरी हैबीटेट) विकास के बारे में अगला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन IV) का आयोजन नए शहरी एजेंडा के बारे में प्रगति का आकलन करने और उसे मजबूत करने के नए राजनीतिक संकल्प के साथ करे।

175. हम महासचिव से अनुरोध करते हैं कि वे उपरोक्त अनुच्छेद 166 के अनुरूप 2026 में प्रस्तुत की जाने वाली चार वर्षीय रिपोर्ट में नया शहरी एजेंडा अपनाए जाने के बाद से उसके अमल में हुई प्रगति और चुनौतियों का आकलन करे और उन्हें दूर करने के लिए आगे के उपायों का सुझाव दें।

United Nations

www.habitat3.org
#NewUrbanAgenda #Habitat3